राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 34 अंक 3 जून-जुलाई : 2012 नई दिल्ली मूल्य 5 रु. पृष्ठ 36

एर्नाकुलम में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक संपन्न

बराबरी की हो बुनियादी शिक्षा

छात्र-युवा करें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व

एर्नाकुलम् रा. का. प. बैठक में प्रास्ताविक करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिन्द मराठे

एर्नाकुलम् रा. का. प. बैठक के दौरान पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

संपादक

आशुतोष

संपादक मण्डल

अवनीश सिंह
संजीव कुमार सिन्हा

फोन : 011-43098248
ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग : chhatrashaktiabvp.blogspot.com
वेबसाईट : www.abvp.org

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा बी–50, विद्यार्थी सदन, क्रिश्चियन कॉलोनी, निकट पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली – 110007 से काशित एवं मॉडर्न प्रिन्टर्स, के–30, नवीन शाहदरा, दिल्ली – 110032 द्वारा मुदित।

संपादकीय कार्यालय

''छात्रशक्ति भवन''
690, भूतल, गली नं. 21
फैज रोड, करोलबाग,
नई दिल्ली - 110005

अनुक्रमणिका

विषय	पृ. सं.
संपादकीय	4
जुलाई से होगा यूपीए सांसदों का घेराव	5
बराबरी की हो बुनियादी शिक्षा (उमेश चतुर्वेदी)	8
छात्र युवा करें भ्रष्टाचार आंदोलन का नेतृत्व (सुनील आंबेकर)	11
स्वदेशी आंदोलन के जनक : बाल गंगाधर तिलक (सूर्य प्रकाश पांडेय)	13
चारित्रिक विकास से मिलेगी सच्ची सफलता	20
विसंगतियों का पुलिन्दा : जम्मू–कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट	21
मनोविज्ञान में कॅरियर (डॉ. प्रेरणा चतुर्वेदी)	33

वैधानिक सूचना

राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है।

संपादकीय.....

जम्मू–कश्मीर की समस्या का समाधान सुझाने के लिये केन्द्र सरकार ने वार्ताकारों के जिस दल का गठन किया था, उसने अपनी अनुशंसाओं में वे सिफारिशें की हैं जो समस्या को और अधिक उलझा सकती हैं। सिफारिशें न केवल देश की भावना के विरुद्ध हैं बल्कि देश की संप्रभुता पर भी चोट करती हैं।

देश भर में स्थान–स्थान पर धरने व प्रदर्शन हुए तथा राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन सौंपे गये। विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जनजागरण हेतु साहित्य वितरित किया तथा संगोष्ठियां आयोजित की गयीं। सभी राष्ट्रवादी शक्तियों ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करने योग्य माना तथा देश भर में इसकी सिफारिशों का पुरजोर विरोध किया।

जम्मू–कश्मीर का मुद्दा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चिंतन के केन्द्र में प्रारंभ से ही रहा है। 1989 में जब राज्य में आतंकवाद की शुरुआत हुई थी, तब से ही परिषद इस संबंध में जनजागरण करती रही है तथा इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

1990 में परिषद का दिया नारा 'चलो कश्मीर' और कश्मीर मार्च के अंतर्गत देश भर के दस हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं का कश्मीर के लिये प्रस्थान तत्कालीन कार्यकर्ताओं के लिये एक रोमांचक अनुभव था। आतंकवाद के पीड़ितों के लिये भी यह एक बड़ा आश्वासन था। इस आन्दोलन ने जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों को यह विश्वास दिलाया कि इस लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं। कच्छ से मणिपुर और धुर दक्षिण में तमिलनाडु और केरल से कश्मीर मार्च के लिये आये कार्यकर्ता जम्मू–कश्मीर की विषम परिस्थितियों का प्रत्यक्ष अनुभव कर जब वापस अपने स्थानों पर गये तो पूरे देश में कश्मीर के मुद्दे पर एक राष्ट्रवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया।

वार्ताकारों की रिपोर्ट के संदर्भ में जब विरोध के स्वर उठने शुरू हुए तो स्वाभाविक था कि परिषद इस अभियान में पूरी शक्ति से जुटे। यही हुआ भी। देश भर में सैकड़ों स्थानों पर सभी राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिल कर अभाविप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन और जनजागरण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

रिपोर्ट यह स्पष्ट संकेत करती है कि सरकार अलगाववादियों ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे समस्या के जनक से भी इस मुद्दे पर कोई गुप्त समझौता कर चुकी है अथवा करने जा रही है। सरकार के इस संभावित राष्ट्रविरोधी कदम का समय रहते सशक्त प्रतिकार किया जाना आवश्यक है। विषय की स्पष्टता हेतु इस अंक में जम्मू–कश्मीर की समास्या से जुड़े विविध पहलुओं की जानकारी देने के साथ ही वार्ताकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विसंगतियों को भी रेखांकित किया गया है।

9 जुलाई परिषद का स्थापना दिवस है। यद्यपि स्थान–स्थान पर संगठन की गतिविधियां प्रारंभ हो गयी थीं किन्तु 1949 में इस दिन संगठन का औपचारिक पंजीयन हुआ था। परिषद इसे अपने तीन अनिवार्य कार्यक्रमों में मानती है। देश भर में इस अवसर पर कार्यक्रम होने का समाचार मिला है किन्तु प्रकाशन तिथि नियत होने के कारण इन कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अगले अंक में ही दिया जा सकेगा।

नये सत्र के प्रारंभ होने का भी यह समय है। इसी समय सदस्यता ओर छात्रसंघ चुनावों की भूमिका भी बन रही है तो प्रवेश सहायता केन्द्र जैसी गतिविधियों में भी कार्यकर्ता सक्रिय है। इस अवसर पर समकालीन विषयों पर विद्यार्थियों का वैचारिक प्रबोधन भी हम कर सकें, इस दृष्टि से यह अंक तैयार करने का प्रयास किया गया है। अंक पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।

स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

संपादक

जुलाई से होगा यूपीए सांसदों का घेराव

एर्नाकुलम राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद का निर्णय

भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन को व्यापक और प्रभावी ढंग से पुरे देश में चलाने के संकल्प व एक जुलाई से यू.पी.ए. सांसदों के घेराव के निर्णय के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक एर्नाकुलम, केरल में संपन्न हुआ। 24 मई को प्रातः राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिन्द मराठे व राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त द्वारा समाज सुधारक श्री नारायण गुरू की प्रतिमा पुष्पार्चन के बाद द्वीप प्रज्ज्वलन और वंदे मातरम् गान के साथ बैठक का प्रारंभ हुआ।

बैठक के प्रथम सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिन्द मराठे ने अपने प्रास्ताविक भाषण में पिछले एक साल से यूथ अगेंस्ट करप्शन (YAC) के तत्वाधान में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा की वर्तमान केन्द्र सरकार भ्रष्टाचारियों की गिरोह बनकर रह गई है। पेट्रोल और डिजल की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि का विरोध करते हुए उन्होंने कहा की आज देश की सामान्य जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हैं। आतंकवाद और नक्सलवाद भी हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक के अवसर पर केरल में हमारे विचार के लिए काम करते–करते बलिदान हुए कार्यकार्ताओं की शहादत का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।

दिनांक 26 मई को सायं आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोह के मुख्य अतिथि उन्नत कानून विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एन. के. जयकुमार ने कहा कि आज देश की वर्तमान व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार रोकने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्ग की खोज में है। कार्यकम में प्रा. मिलिन्द मराठे व उमेश दत्त ने देशभर की गतिविधियों व उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए शहर के गणमान्य नागरिकों को संबोधित किया। इस कार्यकम में मंच पर विशेष रूप से स्वागत समिति के अध्यक्ष सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री टी. एल. विश्वनाथ अय्यर, स्वागत समिति के महासचिव श्री एन. नगरेश, स्वागत समिति के संयोजक श्री एम.ए. विनोद, अभाविप केरल प्रांत के प्रदेश मंत्री श्री अनीष कुमार उपस्थित रहे। नागरिक अभिनंदन समारोह के पश्चात् सांस्कृतिक कार्यकम में नृत्य नाटिका का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सार्वजनिक कार्यकम में ही अभाविप के राष्ट्रीय

संगठनात्मक विवरण

• इकाई	:	1725
• संपर्क स्थान	:	1609
• विस्तार केन्द्र	:	852
• महाविद्यालय इकाई	:	5331
• सदस्यता	:	1526533

अधिवेशनों में गाए गए गीतों का संकलन 'गीतधारा' का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मिलिंद मराठे ने किया।

बैठक में संगठनात्मक समीक्षा की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने तुलनात्मक दृष्टि से संगठनात्मक विस्तार के आंकड़ों को रखा। पिछले वर्ष प्रांतशः निर्धारित मुद्दो पर हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित नई योजनाओं में मिली सफलता को भी उन्होंने सभी के समक्ष रखा। साथ में सर्वस्पर्शी कार्य, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों में कार्य बढ़ाने एवं रचनात्मक कार्यक्रम करने का विशेष रूप से आग्रह किया। कार्यकर्ताओं में सामाजिक संवेदना जागृत करने हेतु औपचारिक एवं अनौपचारिक आयोजनों की भी विशेष रूप से चर्चा हुई।

राष्ट्रीय महामंत्री श्री उमेश दत्त द्वारा स्थानीय स्तर वर्ष भर हुए पर कार्यक्रमों की जानकारी दी तथा कार्यक्रमों में हुए नवीनतम प्रयोग व कल्पना की कल्पलता की चर्चा की। इसके साथ ही कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विचार के प्रगटीकरण के बारे में भी इस सत्र में विस्तृत चर्चा हुई।

स्वामी विवेकानन्द के जन्म के 150 वर्ष पर मनाए जाने वाले सार्द्धशती समारोह की भी रूपरेखा बैठक में तैयार की गई। श्री संजय पाचपोर (क्षेत्रीय संगठन मंत्री, पश्चिम क्षेत्र) ने इस सत्र में विवेकानन्द 150 वर्ष निमित्त विद्यार्थी परिषद् की प्रस्तावित योजना का प्रारूप राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ रखा जिसमें निम्न बातों पर निर्णय हुआः–

- देशभर में अधिक से अधिक महाविद्यालय परिसरों में 12 जनवरी 2013 को कार्यक्रमों की योजना बनानी है।
- स्वामी विवेकानन्द संदेश यात्रा के माध्यम से सभी महाविद्यालय व तहसील स्थान तक जाने की सघन योजना होगी।
- स्वामी विवेकानन्द सार्द्धशती निमित्त अधिक मात्रा में स्वामी विवेकानन्द के विचारों को प्रसारित करने हेतु स्वामी विवेकानन्द के विचार साहित्य की बिक्री योजना बनाना है।
- स्वामी विवेकानन्द का जीवन व संदेश छात्रों के सामने रखते हुए और समाज [redacted] हेतु समय देने को प्रेरित करते हुए आने वाले वर्ष 2013–2014 के लिए 1000 विस्तारक निकालने का संकल्प किया गया।

कार्यक्रमात्मक विवरण

कार्यक्रम	स्थान	कुल कार्यक्रम	सहभागिता
• राष्ट्रीय छात्र दिवस (9 जुलाई)	1212	1980	309228
• सामाजिक समता दिवस (6 दिसंबर)	568	1335	50253
• राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी)	1233	3694	480676

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की बैठक में देश की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई जिसमें प्रमुख रूप से जनजाति क्षेत्रों में हो रहे धर्मांतरण, पानी की बढ़ती समस्या, किसानों के आत्महत्या कृषि आर्थिक सहित अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में चीन द्वारा लेह–लद्दाख में घुसपैठ एवं नक्सलवाद/माओवाद के उपर सरकार की उदा[redacted] नीति के पर विस्तार से चर्चा करते हुए चिन्ता व्यक्त की गई। विद्यार्थी परिषद् द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आगामी दिशा की चर्चा बैठक में हुई।

चर्चा के प्रारंभ में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील आंबेकर ने गत समय में हुए विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र में बैठी हुई यूपीए सरकार द्वारा किए गए घोटालों की एक लंबी सूची बन सकती है। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त महंगाई के पीछे सरकार और व्यवसायियों का स्वार्थी साठगांठ का सुनियोजित तंत्र काम कर रहा है। भ्रष्टाचार के विरोध में अलग–अलग मंचों से चले

आंदोलन भी आज एक होकर एक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हमने जो आंदोलन हाथ में लिया उसे समाज विशेष रूप से छात्र–युवाओं का भारी समर्थन मिला है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आगामी दिशा पर राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल ने कहा कि YAC समितियों को और सुदृढ़ बनाते हुए प्रांत स्तर पर आंदोलन को प्रभावी बनाकर हमें आगे बढना चाहिए।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक में तीन प्रस्ताव सम्मति से पारित हुए जिसमें देश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, देश का वर्तमान परिदृश्य एवं पूर्वोत्तर राज्यों की शिक्षा एवं रोजगार पर उभरते सवाल शामिल है।

जम्मू–कश्मीर गए तीन सरकारी वार्ताकारों की देश विरोधी रपट के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जम्मू–कश्मीर विषय पर विशेष भाषण हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री अरूण कुमार ने जम्मू कश्मीर विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने जम्मू–कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति सबके सामने रखते हुए कहा कि कश्मीर समस्या नहीं है। जानकारी का अभाव ही समस्या पैदा करता है। जम्मू–कश्मीर में अलगाववाद और राष्ट्रवादी के बीच संघर्ष है।

राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् में संसद में लंबित उच्च शिक्षा के सात शैक्षिक विधेयकों पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कैलाश शर्मा ने 'जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली' विषय पर अपनी प्रस्तुती की। इसमें उपभोग को कम करने और प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने का आग्रह किया। जिसमें मनुष्य जीवन सुखी और शांतिपूर्ण हो सके तथा पृथ्वी की आयु बढ़ सके। पर्यावरणीय परिवर्तन तथा हमारी जीवनशैली के संदर्भ में हमसे अपेक्षा की गई है कि हम सयंमित जीवन शैली अपनाकर अनेक नई पीढ़ियों को धरती पर जीने का अवसर प्रदान कर सकते हैं

राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठक में विभिन्न विशेष वृत्त रखे गए जिसमें प्रमुख रूप शामिल थे :–

- बेंगलुरू में संपन्न अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानों के छात्रों का कार्यक्रम, थिंक इंडिया 2012
- रायपुर में हुआ बनवासी शिक्षा लेने वाले जनजाति छात्र सम्मेलन, अनुभव – 2012
- हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में बीफ फेस्टीव्हल का विरोध
- चित्रदुर्ग (कर्नाटक) में संपन्न विद्यार्थी लेखकों की कार्यशाला
- भोपाल में विद्यार्थी परिषद् कल्याण न्यास द्वारा युवाओं के लिए कृषि क्षेत्र में व्यवसायिकी संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी
- महाराष्ट्र में प्राध्यापकों द्वारा मूल्यांकन ना करने के निर्णय को लेकर अभाविप का यशस्वी आंदोलन
- उज्जैन में उच्च शिक्षा पर हुआ परिसंवाद
- पूर्वोत्तर राज्यों में गए प्रांत संगठन मंत्रियों के अध्ययन दलों की रिपोर्ट

यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल के कीमतों में की गई वृद्धि के विरोध में अभाविप के सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. मिलिन्द मराठे, महामंत्री उमेश दत्त के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठके के दौरान 25 मई 2012 के एर्नाकुलम में हुआ। सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने बैठक स्थान से स्थानीय चौक तक रैली निकाली। राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त एवं केरल प्रांत मंत्री अनीश कुमार ने सभी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया।

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आगामी कार्यक्रमों के अंतर्गत YAC के बैनर तले यूपीए के तमाम सांसदों का घेराव 1 जुलाई से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की इस बैठक में आगामी समय में विद्यार्थी परिषद् के संगठनात्मक दृष्टी से विस्तार के लिए एक नयी ऊर्जा का संचार करने के साथ साथ भ्रष्ट व भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष की पटकथा लिखी गयी जो निश्चित तौर पर छात्र–युवाओं की शक्ति को समग्रता से देशहित में लगाने का कार्य करेगी।

बराबरी की हो बुनियादी शिक्षा

✍ उमेश चतुर्वेदी

जब से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया है, तभी से नामी–गिरामी पब्लिक और निजी स्कूलों ने इसकी काट खोजने की कवायद जारी रखी है। शिक्षा के अधिकार कानून में निजी और पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। निजी और पब्लिक स्कूलों को सबसे ज्यादा परेशानी इसी प्रावधान से रही है। क्योंकि उनकी मोटी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसके जरिए कम होता नजर आ रहा है ही उनके पाठ्यक्रमों में कृष्ण और सुदामा की पौराणिक कथा दोस्ती की मिसाल के तौर पर भले शामिल हो, लेकिन हकीकत में वे कृष्ण और सुदामा को साथ बैठाने और पढ़ाने की अवधारणा से ही पीछा छुड़ाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी इस कोशिश पर पलीता लगा दिया है। ऐसे में उमीद तो जताई जा रही है कि कृष्ण और सुदामा की कहानी एक बार फिर कम से कम स्कूली स्तर पर दोहराई जाएगी। लेकिन जिस तरह कार्यपालिका और उसके तंत्र अपनी जिमेदारियों से पीछा छुड़ाते रहे हैं, उसकी वजह से यह आशंका बनी हुई है कि पब्लिक और निजी स्कूल देर–सवेर इसकी काट जरूर खोज निकालेंगे। क्योंकि अब तक मोटी कमाई करते रहे इन स्कूलों का प्रबंधन आसानी से बराबरी के अधिकार को स्वीकार कर लेगा, संभव नहीं लगता।

अपने देश में कृष्ण और सुदामा की कहानी बुनियादी शिक्षा में बराबरी का महत्व जताने के लिए काफी है। विकासशील और विकसित दुनिया का बड़ा हिस्सा कम से कम बुनियादी शिक्षा में बराबरी की ना सिर्फ वकालत करता है, बल्कि उस व्यवस्था को अपनाए हुए भी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पाया है। एक तरफ भारत के 10 लाख 35 हजार सरकारी स्कूल हैं, जिनमें सुविधाओं का टोटा है। राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के बोलबाला के दौर में इन स्कूलों के लिए भर्ती किए गए शिक्षकों में ऐसे भी लोग आ गए हैं, जिनके लिए शिक्षक का पेशा भी महज नौकरी है, कई ऐसे भी हैं जिनकी योग्यता और कार्यकुशलता पर सवाल हैं। लिहाजा सरकारी स्कूलों का शैक्षिक स्तर लगातार लचर होता गया है। पिछले दिनों आई 'प्रथम' की रिपोर्ट ने इसे जाहिर भी किया है।

प्रथम पिछले सात साल से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ग्रामीण स्कूली शिक्षा पर असर रिपोर्ट तैयार कर रही है। इस साल 17 जनवरी को जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसे 65000 बच्चों की जांच के आधार पर तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में छह से चौदह साल की उम्र के 96 फीसदी से भी ज्यादा बच्चों का स्कूलों में दाखिला तो होने लगा है। लेकिन हकीकत ये है कि वे सिर्फ दाखिला ही ले रहे हैं। उनके ज्ञान और सूचना के स्तर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। उल्टे गिरावट ही देखी जा रही है। प्रथम के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर के मुताबिक स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी तो हुई है, लेकिन शिक्षा के स्तर में गिरावट देखी गई है। यह गिरावट खासकर उत्तरी भारत के हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा देखी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में जहां पांचवी कक्षा के 54 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा की किताब पढ़कर समझने में समर्थ थे, वहीं 2011 में यह औसत गिरकर 48.2 फीसदी रह गया। इसी तरह तीसरी कक्षा के सिर्फ 29.9 प्रतिशत बच्चे हासिल का घटा कर पाए। दूसरी ओर गुजरात, पंजाब तथा दक्षिण के राज्यों में स्थिति में सुधार हुआ है। इसी तरह गणित की समझ के मामले में भी बच्चों का प्रदर्शन गिरा है। दो अंकों के जोड़ घटाव जैसे सवालों को तीसरी कक्षा के मात्र 30 फीसदी छात्र ही हल कर सके, जबकि 2010 में यह औसत 36 फीसदी से भी अधिक था। यह गिरावट दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर ज्यादातर बच्चों में पाई गई। लेकिन दूसरी तरफ दो लाख 59 हजार निजी और पब्लिक स्कूल भी हैं। जिनके पास शैक्षिक सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं और अध्यापकों पर पढ़ाई कराने का दबाव भी है। अपनी इन सहूलियतों के लिए ही ये स्कूल और उनका प्रबंधन शिक्षा के अधिकार का कानून के प्रावधानों के मुताबिक गरीब बच्चों को दाखिला देने का विरोध करते रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नकारा है तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पब्लिक और निजी स्कूल ज्यादातर ऐसी जमीनों पर बनाए गए हैं, जिन्हें सरकार, सरकारी संस्थान या स्थानीय निकाय ने सामाजिक सेवा के लिए सस्ती दरों पर आवंटित किया है। स्कूलों को औद्योगिक और बाजार की दर पर जमीनें नहीं दी जातीं। पानी–बिजली का कनेक्शन भी रियायती दरों पर मुहैया कराया जाता है। जाहिर है कि सरकार और समाज से इतनी सारी सहूलियतें हासिल करने के बाद वे सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते।

देश साक्षरता के क्षेत्र में कितनी तरक्की कर रहा है, इसकी झलक हाल में आई 'प्रथम' की रिपोर्ट दर्शा रही है। सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा के बच्चों को न तो अक्षर ज्ञान हो पाया है न ही वे गुणा-भाग कर पा रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक स्कूलों में गरीबों के आरक्षण के निर्णय की काट खोजने के लिए स्कूल प्रबंधनों ने अपनी गुणा-भाग तेज कर दी है

बुनियादी शिक्षा में बराबरी की वकालत करने वालों का तर्क है कि इससे समूचा समाज इंसाफ और बराबरी की सोच के साथ विकसित होता है। भावी नागरिकों के बीच ऊंच–नीच और बड़े–छोटे की भावना नहीं रहती। बराबरी की बुनियादी शिक्षा का आधार ऐसे नागरिकों की फौज तैयार करता है, जहां विकास प्राथमिकता है, गैर बराबरी का भाव नहीं। गांधी ने इसी लिए बुनियादी शिक्षा की वकालत की थी। अपने मानस में स्थित आदर्श को अपने आश्रमों में वे उन्हें जमीनी हकीकत में बदलने की कोशिश करते रहे।

डॉक्टर जाकिर हुसैन के जरिए उन्होंने बुनियादी तालीम पर रिपोर्ट भी तैयार कराई थी। आजाद भारत में शिक्षा का जो ढांचा विकसित किया गया, उसका वैचारिक आधार बुनियादी तालीम को लेकर गांधी की सोच ही थी। लेकिन जैसे–जैसे औद्योगीकरण और विकास की नई अवधारणा विकसित होती गई, गांधीवाद से हकीकत में विचलन बढ़ा और ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित होने लगी, जिसमें बराबरी की गुंजाइश कम होती गई। जिंदगी के संघर्ष में भी पब्लिक स्कूलों से निकले लोगों को अहमियत मिलने लगी। तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन देश में सरकारी स्तर

पर बुनियादी शिक्षा का व्यापक ढांचा होने के बावजूद महंगे पब्लिक स्कूलों की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। यह आकर्षण ही है कि पब्लिक स्कूल खुद को समाज के उपरी तबके का प्रतिनिधित्व करने लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेशक मौजूदा भारत के कृष्ण और सुदामा साथ बैठने लगें। लेकिन इससे बुनियादी शिक्षा के एक ही पक्ष का निदान होगा। अव्वल तो होना यह चाहिए कि देशभर में फैले बुनियादी शिक्षा के सरकारी ढांचे को ही अपग्रेड किया जाता। उनमें काम कर रहे शिक्षकों में यह बात भरने की कोशिश की जाती कि वे महज क ख ग या ए बी सी डी रटाने वाली मशीन नहीं हैं, बल्कि भावी समाज के निर्माता हैं। सरकारी शैक्षिक तंत्र को निजी तंत्र के मुकाबले में सहूलियतों और सुविधाओं के औजार के साथ उतारा जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जापान ने 1872 में फंडामेंटल कोड ऑफ एजूकेशन लागू किया और 1910 तक आते–आते जापान पूरी तरह साक्षर हो गया। इस कोड ने जापान में ऐसी भावना भरी है कि वह तमाम झंझावातों को सहजता से झेल जाता है और जल्द ही उठ खड़ा भी होता है। 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले के बाद बर्बाद जापान हो या 2011 में आए भूकंप और सुनामी की तबाही, जापान हर बार उठ खड़ा हुआ। गांधी भी एक हद तक ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था चाहते थे, जो नागरिकों को हर मुकाबले में तन कर खड़ा होने और चुनौतियों का मुकाबला करने के योग्य बना सके। लोकतांत्रिक समाज में जनता के लिए सीधे जिम्मेदार कार्यपालिका पर ऐसे कदम उठाने का ज्यादा नैतिक आधार बनता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कम ही हो पाता है। अपेक्षाकृत जनता से सीधे संबंध ना होने के बावजूद न्यायपालिका ऐसे कदम उठाने में कार्यपालिका पर भारी पड़ रही है। तो क्या उम्मीद करें कि बराबरी के आधार वाली बुनियादी शिक्षा के लिए भी न्यायपालिका ही आगे आएगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

'प्रयास' 150 विद्यार्थी इंजीनियरिंग व मेडिकल में हुए सफल, अभाविप ने किया सम्मान

रायपुर। विद्यार्थी परिषद की रायपुर इकाई ने 'प्रयास' के अखिल भारतीय परीक्षाओं में चयनित छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया। चयनित छात्रों में सीबीएसई के 150 व आइआइटी के 2 छात्र शामिल थे। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री उमेश दत्त ने कहा कि विद्यार्थी परिषद हर वर्ष मेधावी छात्रों का सम्मान करती है, लेकिन दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के इन प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान करते हुए विद्यार्थी परिषद गौरवान्वित महसूस कर रही है। ऐसे आयोजनों से छात्रों को न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफल होने का विश्वास जगता है। विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाये जा रहे थिंक इंडिया एवं अनुभव जैसे प्रकल्पों का उदहारण देते हुए उन्होंने कहा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मुख्य अतिथि राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रयास की सफलता मेधावी छात्रों, छात्रवास से जुड़े लोगों के एक सामूहिक मेहनत का नतीजा है तथा प्रतिभा को तराशने का यह एक अनुपम उदहारण भी है। उन्होंने सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सफल छात्र अपने जोश व उमंग को बनाये रखते हुए देश व समाज के विकास में अपनी महती योगदान जरुर सुनिश्चित करेंगे।

प्रान्त संगठन मंत्री सुधांशु भूषण ने चयनित छात्रों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखी। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री राजू महंत तथा धन्यवाद ज्ञापन महानगर मंत्री गोविन्द गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय जनजाति कार्य प्रमुख प्रफुल्ल अकांत, अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री रवि भगत, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. के. के. साहू सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

छात्र-युवा करें भ्रष्टाचार आंदोलन का नेतृत्व

✍ सुनील आंबेकर

आज 2जी घोटाले के प्रमुख आरोपी एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री ए. राजा. को जमानत मिल गयी व लगभग सभी आरोपियों के बाहर आने की प्रक्रिया पूरी हो गयी। वैसे न्यायालय के अंतिम फैसले के पूर्व ज्यादा समय बिना जमानत किसी को भी जेल में बंद रखना, उचित नहीं होगा लेकिन सी.बी. आई. की निरपेक्षता के वर्तमान रिकार्ड उनकी मेहरबानी वाली भूमिका को भी इंगित करते हैं।

वैसे भ्रष्ट सत्ता से लड़ना काफी कठिन तथा जोखिम भरा काम होता है। दुनिया भर के तानाशाहों के शासन में यह भय काफी बढ़ जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यह खतरों से कम नहीं है।

ईमानदार अधिकारियों के हत्याओं के मामले भी कम नहीं हैं। बिहार में सत्यदेव दुबे, उत्तरप्रदेश के मंजूनाथ (2003) या महाराष्ट्र तेल माफियों द्वारा मारे गये यशवंत सेनवणे (2010) जैसे माले उजागर हुए। साथ ही कई अन्य प्रकार के लोग भी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाने पर प्रताड़ित हुए हैं।

बाबा रामदेव के योग अभियान, आयुर्वेद दवा उद्योग, उनके सहकर्मियों पर आरोप लगाकर घेरने तक मामला सीमित नहीं रहा। उनके आंदोलन को दबाने हेतु निर्ल्लज्जता से रामलीला मैदान में हुआ पुलिसी हमला गुंडागर्दी से कम नहीं था। समाजसेवी अन्ना हजारे को जेल भेजने से लेकर उनके सहयोगी को भी लक्ष्य बनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् तो इस लड़ाई की पुरानी खिलाड़ी है तथा बेबाक होकर हमेशा लड़ती रही है। जो आपातकाल के पूर्व व दौरान तथा आज भी भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ लामबंद है। यूथ अगेंस्ट करप्शन (YAC) उसी की प्रेरणा से गठित हुआ है।

बोफोर्स घोटाले के समय भी विद्यार्थी परिषद् प्रखरता से आंदोलन में सक्रिय थी। स्थानीय स्तर पर अपनी-अपनी शक्ति से लड़ने वाले कई समूह देश में हैं। लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली केंद्र की सत्ता से लड़ने का साहस बड़े-बड़े नहीं जुटा पाते व जुट भी जाये तो टिक नहीं पाते। इसलिए विद्यार्थी परिषद हमेशा यह मानती रही है, हमें देश के छात्र-युवाओं को लेकर यह दायित्व अनिवार्य रूप से निभाना ही है। मैं मानता हूँ कि केन्द्र के भ्रष्टाचार को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावी रूप से होगा, तभी नीचे के भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण आयेगा। निरपेक्ष जाँच एवं दोषियों को सजा का सिलसिला नीचे तक भ्रष्टाचारियों के प्रभाव से मुक्त होगा तथा आम व्यक्ति को राहत मिलेगी।

पिछले सभी आंदोलनों में संघी, समाजवादी, विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, ईमानदार अधिकारी सारे छुआछूत छोड़कर एक साथ थे व भ्रष्ट सत्ता को जाना ही पड़ा।

इस समय की केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का सर्वाधिक कमजोर नेतृत्व है लेकिन भ्रष्टाचार साथियों को संभालने की कोशिश में वे काफी मजबूत एवं निष्ठावान नजर आते हैं। वर्तमान गृहमंत्री पी. चिदंबरम को 2जी मामले में कांग्रेस की यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी पूरी ताकत से बचाने में लगी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने का सिलसिला जारी है जैसे हाल ही उजागर हुए एअरसेल (Aircel) का घोटाला, टेट्रा ट्रक खरीद घोटाला सारे करोड़ों रूपयों के हैं। लेकिन लग रहा है कि इनके पाप का घड़ा लगभग भर गया है और यह सरकार अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है। विपक्षी दलों को भी भ्रष्टाचारी साबित करने में व्यक्तिगत कमजोरी का फायदा उठाकर पूरे विरोधी स्वर को बदनाम करने का षड़यंत्र रचा गया है। बंगारू लक्ष्मण या किरण बेदी के मामले गंभीर हैं लेकिन उससे निराश होकर विरोधी आवाज को ढीला न होने दें तथा लड़ाई को पूरी ताकत से जारी रखना होगा।

इन परिस्थितियों में, यह बात मैं बार-बार कहना चाहता हूँ कि छात्र-युवाओं को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर पूरी पकड़ बनाते हुए इसका नेतृत्व संभालना होगा। वरिष्ठ सभी का मार्गदशन एवं आशीर्वाद जरूर लें, लेकिन नेतृत्व स्वयं करें। इस सेना

का मुकाबला कर पूरे देश को भी प्राथमिकता से केंद्र सरकार के स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार से लड़ना होगा। नीचे के भ्रष्टाचार को रोकने का काम कानून एवं तंत्र द्वारा होता है। उसे हम मजबूत करें। लेकिन केंद्र की सत्ता के सामने कानून व तंत्र टिक नहीं पाते, इसलिए यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे आंदोलनों द्वारा सीधा जनता का दबाव जरूरी है। यहाँ केवल भ्रष्टाचारी राजा, कलमाड़ी या चिदंबरम को कानून के तहत सजा देना पर्याप्त नहीं है, यह संगठित गिरोह का गुनाह है। इसलिए सत्ता पक्ष से बुरी तरह बेदखल होने की सजा समस्त जनता के द्वारा देना जरूरी है। इसलिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की दिशा एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सजा देना तथा सत्ता पक्ष को मत से बेदखल करना नितान्त आवश्यक है। इस महान कार्य हेतु सभी को एक साथ आना हीं होगा तथा विपक्ष को सत्ता का मौका देते हुए यह भय बराबरी से बनाकर रखना होगा।

भारत को प्रगति पथ पर जाना है, तथा हर क्षेत्र में युवा ऐसा साहस दिखा रहे हैं कि हम उन पर गर्व करें। इस धारा को अवरूद्ध होने से रोकना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त व जनसुलभ व्यवस्थाओं के निर्माण में ऐसी पहल युवाओं को करनी होगी, अन्यथा हमें बार–बार भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा तथा नई सरकारें भी पुनः उसी राह पर जायेगी। इसलिए आने वाले समय में व्यवस्थाओं में परिवर्तन जरूरी है। इस हेतु आगामी सरकारें साफ सुथरी हों, आगामी चुनाव साफ सुथरे हों, यह समय की मांग है। भ्रष्टाचारियों को सजा देने हेतु लोकपाल जैसे कानून, निजी क्षेत्र कंपनियों तथा गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा नीतियों को गलत तरीकों से प्रभावित करने को भ्रष्टाचार के दायरे में लाने हेतु नया कानून जैसे उपाय करने होंगे। आगामी चुनाव के पहले भ्रष्टाचारी सरकार सत्ता से बाहर हो, वह चुनाव को प्रभावित न कर पाये। काला धन के रूप में विदेशी बैंकों के गुप्त खातों में रखे गये धन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने हेतु बेनामी वारंट (Floating Warrant) जारी करने होंगे तथा देश में पड़े काले धन को निकालने हेतु 500 तथा 1000 के नोटों को रद्द करना होगा। साथ ही सभी दलों पर चुनाव सुधार के लिए दबाव देना होगा जिसमें प्रचार व खर्च की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा हो ताकि सामान्य नेक व्यक्ति को हम संसद में पहुँचा सकें। चुनाव के पश्चात् एक व्यापक पहल प्रशासन, पुलिस, न्याय, शिक्षा आदि व्यवस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन हेतु करनी होगी, जिससे उन्हें आधुनिक भ्रष्टाचार मुक्त, जनसुलभ एवं देशानुकूल बनाया जा सके।

यह लड़ाई लंबी है लेकिन अनिवार्य इसलिए यह संकल्प दो–चार माह के प्रतिक्रियात्मक उत्साही आंदोलनों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर सख्त रूख अपनाना होगा व युवाओं को बहुत कुछ करना होगा। पिछले वर्ष भर की हलचल से लग रहा है कि पूरे देश में एक जबर्दस्त इच्छा जागृत हुयी तथा युवाओं में संकल्प। इसी संकल्प का नाम है, 'यूथ अगेंस्ट करप्शन'।

(लेखक अ.भा.वि.प. के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं।)

प्रिय मित्रों,

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का जून–जुलाई अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न सामसमायिक घटनाकमों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित कई महत्वपूर्ण आलेखों एवं खबरों का संकलन किया गया है। आशा है कि यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा।

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव और विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पत्ते अथवा ई – मेल पर अवश्य भेजें:–

''छात्रशक्ति भवन''
690 भूतल, गली नं. 21
फेज रोड, करोलबाग
नई दिल्ली - 110005.
फोन : 011-43098248
ई-मेल : chhatrashakti.abvp@gmail.com
ब्लॉग : chhatrashaktiabvp.blogspot.com
वेबसाईट : www.abvp.org

स्वदेशी आंदोलन के जनक : बाल गंगाधर तिलक

✍ सूर्य प्रकाश पांडेय

लोकमान्य, अर्थात वह व्यक्ति जिसे लोग अपना नेता मानते हों। यह उपाधि बाल गंगाधर तिलक को भारत के स्वाधीनता प्रेमियों ने दी थी। लोकमान्य ने बंग–भंग आंदोलन के दौरान भारत के स्वाधीनता संग्राम को मुखर रूप प्रदान किया था। अंग्रेजों की विभाजन नीति ने सबसे पहले बंगाल को ही सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की योजना बनाई। जिसे हम लोग बंग–भंग के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन की इस नीति का विरोध करने वालों में लोकमान्य तिलक प्रमुख व्यक्ति थे। तिलक ने बंग–भंग आंदोलन के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजपरस्त नीति का विरोध किया और कांग्रेस को स्वराज्य प्राप्ति का मंच बनाया।

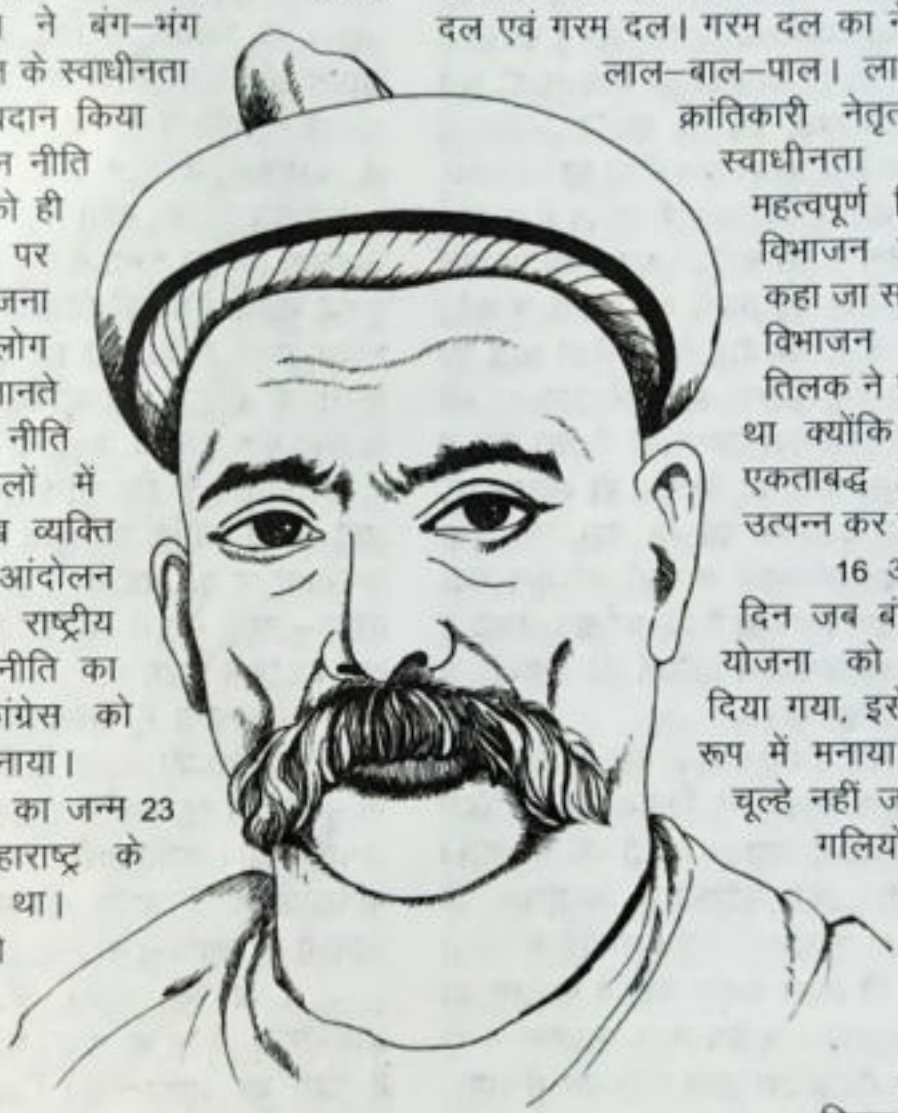

लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई, 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। वह भारत की उस पीढ़ी के व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक कॉलेज की शिक्षा पाई। संस्कृत के प्रकांड पंडित, देशभक्त एवं जन्मजात योद्धा तिलक भारत में स्वदेशी, स्वराज्य एवं स्वसंस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए आजीवन प्रयासरत रहे। सन 1885 में अंग्रेज अधिकारी ह्यूम के नेतृत्व में स्थापित कांग्रेस नागरिक सुविधाओं के लिए प्रस्ताव पारित करने और अनुनय–विनय करने तक ही सीमित थी। जिसे लोकमान्य तिलक ने सन 1905 के बाद से राष्ट्रवादी स्वरूप प्रदान किया और "स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा।" का नारा दिया। जिसके बाद कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई नरम दल एवं गरम दल। गरम दल का नेतृत्व कर रहे थे– लाल–बाल–पाल। लाल–बाल–पाल के क्रांतिकारी नेतृत्व ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन को महत्वपूर्ण दिशा दी। बंगाल विभाजन को इसका प्रेरक कहा जा सकता है। बंगाल के विभाजन को लोकमान्य तिलक ने एक वरदान बताया था क्योंकि इसने राष्ट्र को एकताबद्ध करने की चेतना उत्पन्न कर दी थी।

16 अक्टूबर, 1905 का दिन जब बंगाल विभाजन की योजना को व्यावहारिक रूप दिया गया, इसे 'शोक दिवस' के रूप में मनाया गया। उस दिन चूल्हे नहीं जले, लोग नंगे पांव गलियों में निकल आये, उन्होंने एक दूसरे को लाल राखी बांधी। शाम को कोलकाता के टाउन हाल में विराट सभा हुई, जिसमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ और तय किया गया कि जब तक यह घृणित योजना रद्द न हो जाए आंदोलन थमेगा नहीं। तिलक के नेतृत्व में सारा राष्ट्र बंगाल की रक्षा के लिए उठ खड़ा हुआ। लोकमान्य चार सूत्री कार्यक्रम बहिष्कार,

स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज आंदोलन के माध्यम से देश को जागृत करने का कार्य कर रहे थे। भारतवासियों को बहिष्कार आंदोलन का मर्म समझाते हुए तिलक ने 'केसरी' के संपादकीय लिखा था–

"लगता है कि बहुत से लोगों ने बहिष्कार आंदोलन के महत्व को समझा नहीं। ऐसा आंदोलन आवश्यक है, विशेषकर उस समय जब एक राष्ट्र और उसके विदेशी शासकों में संघर्ष चल रहा हो। इंग्लैंड का इतिहास इस बात का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि वहां की जनता अपने सम्राट का कैसे नाकों चने चबवाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि सम्राट ने उनकी मांगे पूरी करने से इंकार कर दिया था। सरकार के विरूद्ध हथियार उठाने की न हमारी शक्ति है न कोई इरादा है। लेकिन देश से जो करोड़ों रूपयों का निकास हो रहा है क्या हम उसे बंद करने का प्रयास न करें। क्या हम नहीं देख रहे हैं कि चीन ने अमेरिकी माल का जो बहिष्कार किया था, उससे अमेरिकी सरकार की आंखें खुल गईं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि एक परतंत्र राष्ट्र, चाहे वह कितना ही लाचार हो, एकता साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर बिना हथियारों के ही अपने अंहकारी शासकों को धूल चटा सकता है। इसलिए हमें विश्वास है कि वर्तमान संकट में देश के दूसरे भागों की जनता बंगालियों की सहायता में कुछ भी कसर उठा न रखेगी।"

भारत में स्वदेशी उपभोग के विचार को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले लोकमान्य तिलक ही थे, जिस स्वदेशी की राह पर आगे चलकर गांधी जी भी चले। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के राजनीतिक महत्व को उजागर किया। उन्होंने लोगों से कहा कि चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े, वे स्वदेशी का उपयोग करें। अगर कोई भारतीय वस्तु उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर गैरब्रिटिश वस्तु इस्तेमाल में लाएं। उन्होंने लिखा – "ब्रिटिश सरकार चूंकि भारत में भय से मुक्त है, इससे उसका सिर फिर गया है और वह जनमत की नितान्त उपेक्षा करती है। वर्तमान आंदोलन से जो एक सार्वजनिक मानसिकता उत्पन्न हो गई है, उससे लाभ उठाकर हमें एक ऐसे केन्द्रीय ब्यूरो का संगठन करना चाहिए जो स्वदेशी माल और गैरब्रिटिश माल के बारे में जानकारी एकत्रित करे। इस ब्यूरो की शाखाएं देश भर में खोली जाएं, भाषण और मीटिंगों द्वारा आंदोलन के उद्देश्य की व्याख्या की जाये और नई दस्तकारियां भी लगाई जाएं।"

लोकमान्य तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक–धार्मिक उत्सवों को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरूआत की। गणेश उत्सव और शिव जयंती उत्सव के माध्यम से हिंदू समाज अभूतपूर्व रूप से जाग्रत और भावनात्मक रूप से एक हुआ। समस्त हिंदू समाज ने जातियों–उपजातियों को छोड़ गणेश उत्सवों के कार्यक्रम में भाग लिया। लोकमान्य तिलक के जीवनीकार टी. वी. पर्वते ने गणेश उत्सव कार्यक्रमों की सफलता का इन शब्दों में वर्णन किया है– "तिलक और उनके सहयोगियों की विलक्षण सूझ–बूझ और संगठन शक्ति इसमें निहित थी कि उन्होंने गणेश उत्सव को जनता के बौद्धिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन में परिणत कर दिया। लगता है कि लोग ऐसे ही आंदोलन के लिए आतुर से थे क्योंकि यह तुरंत ही अपना लिया गया और जनसाधारण को यह बहुत ही भाया। ब्राह्मणों, मराठों, महारों– सभी ने इसे अपना लिया और वे एक दूसरे से खुलकर मिलने लगे।"

लोकमान्य ने भारत की सुप्त जनता को जाग्रत कर स्वाधीनता की लड़ाई के लिए तैयार किया। वे जिस भी भूमिका में रहे उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की अलख जगाए रखी। क्रांतिकारी, पत्रकार अथवा शिक्षक सभी भूमिकाओं में वे भारत की स्वाधीनता, स्वसंस्कृति व स्वदेशी की स्थापना के लिए अहोरात्र लगे रहे।

1 अगस्त, 1920 को लोकमान्य तिलक का आकस्मिक निधन हो गया। परंतु, जिन आदर्शों के लिए वे जिये वह शाश्वत हैं। जिस राष्ट्र के लिए उन्होंने 'स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का नारा दिया आज वह स्वतंत्र और दृढ़ है। स्वदेशी, स्वशिक्षा, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे में उनके मार्ग का अनुसरण अथवा अनुकरण करना ही लोकमान्य तिलक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

प्रस्ताव क्रमांक : 1

देश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य

केन्द्र की वर्तमान सरकार जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई है एवं निरन्तर भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ भारतीय उच्च शिक्षा के प्रति उदासीन व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपना रही है, इससे उच्च शिक्षा में व्यापारीकरण लगातार बढ़ता जा रहा हैं। कुलपति से लेकर कुलाधिपति कार्यालय तक भी भ्रष्टाचार के केन्द्र बन गये है। समितियों की आड़ में व्यापार करने वाले निजी विश्वविद्यालय एवं निजी शिक्षण संस्थानों की श्रृखंला बढ़ाकर निर्धन मेधावी छात्रों के शोषण के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता से निरन्तर खिलवाड़ किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के 3 वर्षो के कार्यकाल में शिक्षा में पांथिक तुष्टीकरण भारी मात्रा में हुआ है। शिक्षा के प्रति उदासीनता एवं व्यापारीकरण की नीतियों को बढ़ावा देने के कारण, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आयी है। प्रवेश परीक्षाओं को लगातार कोचिंग व्यापार के अनुरूप बनाया जा रहा है। शोध की गुणवत्ता में गिरावट के साथ –साथ शोध छात्रों के शोषण की घटनायें भी बढ़ी है। परन्तु मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर अपने को निर्लज्जता से महान शिक्षा सुधारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे है। अभाविप इस प्रकार की शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी व व्यापारीकरण को पुष्ट करने वाली केन्द्र सरकार की कड़े शब्दों में निन्दा करती है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक समाज के सभी वर्गो के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त हो सके इस दृष्टि से शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education) पर सभी गैर सरकारी अनुदानित विद्यालयों में 25% सीटें निर्धन छात्रों हेतु आरक्षित करने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है, तथा केन्द्र सरकार से माँग करती है कि इसे तुरन्त लागू करे एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धन छात्रों के लिये गैर अनुदानित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी 25% सीटें आरक्षित करने हेतु न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करे। उच्च शिक्षा में छात्रों की भागीदारी को 10% से 30% तक बढ़ाने का दावा केन्द्र सरकार करती है, परन्तु 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 42 हजार करोड़ का ही प्रावधान करने की मांग की गई है, जो कि अपेक्षित व्यय राशि से बहुत कम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 73 हजार करोड़ रूपये की राशि आवंटित करने की मांग की थी। अन्तर्राष्ट्रीय आँकड़ो के अनुसार उच्च शिक्षा पर जहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपनी राष्ट्रीय आय का 2.2% से 2.5%, जापान 1.2%, चीन 1.2% उच्च शिक्षा पर व्यय करते है, वही भारत में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का मात्र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत व्यय किया जाता है जो अपेक्षित से काफी कम है। यह केन्द्र सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्च शिक्षा के प्रति उदासीनता को इंगित करता है।

देश में यह महसूस किया जा रहा है कि वर्तमान केन्द्र सरकार व कई राज्य सरकारें उच्च शिक्षा के प्रति सोच समझकर ऐसी नीतियां बना रही हैं जिससे निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन मिले। परिणाम स्वरूप निर्धन मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होते जा रहे है इससे बाजार में बिकने वाले ही पाठ्यक्रम चल रहे है और ऐसी शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित होती जा रही है। आदर्श विश्वविद्यालयीन शिक्षा की अवधारणा की घोर अनदेखी हो रही है तथा सामाजिक महत्व के अनेक विषयों की भी अनदेखी हुई है। देश की सामाजिक व आर्थिक संरचना के मद्देनजर इन शिक्षण संस्थाओं में SC/ST/OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इन विश्वविद्यालयों में मेधावी छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। विद्यार्थी परिषद् संविधान द्वारा पारित आरक्षण व्यवस्था को इन संस्थानों में पूर्णरूपेण लागू करने की माँग करती है।

पिछले दिनों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी धन लेकर नियमों के विपरीत Ph. D., M. Tech, तक की प्रतिष्ठित डिग्री प्रदान करने के मामले एक निजी समाचार चैनल ने उजागर किये है। ऐसे संस्थानों में मनमानी एवं अनियमितताओं के उदाहरण लगातार बढ़ रहे है परन्तु कोई ठोस कानून न होने के कारण इन संस्थानों का अन्धाधुन्ध खुलना, शिक्षा से

खिलवाड़, छात्रों का शोषण व घोर व्यापारीकरण निरन्तर जारी है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक निजी व डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा निजी शिक्षण संस्थानों पर निगरानी रखने, छात्रों का शोषण रोकने, भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने एवं व्यापारीकरण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों से ठोस कानून बनाने की माँग करती है। साथ ही इन संस्थानों द्वारा दूरस्थ शिक्षा के नाम पर जो भी ठगी की जा रही है, अभाविप इसे तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित करने की माँग करती है। अभाविप देशभर में उच्च शिक्षा पर नियन्त्रण रखने वाली संस्थाओं के साथ सम्बद्धता देने वाली संस्थाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों के सम्बद्धता के नाम पर किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करती है। मध्यप्रदेश में AICTE के सदस्य तथा कुछ अध्यापकों का CBI द्वारा पकड़ा जाना अनुमति के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागार करता है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् देश भर में 8 नये IIT खोलने के निर्णय का स्वागत करती है, किन्तु पहले से अस्तित्व में आये IIT में शिक्षकों के रिक्त पड़े 1559 पदों पर अविलम्ब नियुक्ति एवं नये खोले गये संस्थानों में तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार की अधोसंरचना तुरन्त प्रदान करने की माँग करती है।

अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) के Institute Of Technology को BHU से अलग कर IIT BHU बनाने के केन्द्र सरकार के निर्णय को भारतीय चिन्तन के अनुरूप समग्र शिक्षा के एक ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान को साजिशन खण्डित करने की दिशा में षड़यन्त्र मानती है। आधुनिक भारत के निर्माण में IT BHU का अभूतपूर्व योगदान है, किन्तु वर्तमान केन्द्र सरकार ने महामना मदन मोहन मालविय के एक परिसर में सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा देने के सपने का सम्मान न करते हुए IIT BHU को BHU के भीतर रखकर उसका स्तर बढ़ाने व अधिक वित्त उपलब्ध करवाने के स्थान पर उसे BHU से अलग करने की अपनी जिद को पूरा किया है। एक तरफ तो केन्द्र सरकार यशपाल समिति द्वारा संस्तुति को आधार बनाकर एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार की शिक्षा के सिद्धान्त को मानने की बात करती है तो दूसरी ओर पहले से अस्तित्व में एक ही परिसर में शिक्षा देने वाले BHU को खण्डित करने का काम कर रही है। अभाविप सरकार के ऐसे षड़यन्त्रकारी कदमों को आगे बढ़ाने के प्रति सचेत करते हुये माँग करती है कि BHU अधिनियम 1916 के बाद बने IIT अधिनियम 1961 में संशोधन कर BHU-IT को BHU के अन्दर रखते हुये IIT का दर्जा प्रदान करें।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी IIT JEE तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाओं को कोंचिग मुक्त करने हेतु नीति बनाने तथा AIJEE में 2005 से पूर्व लागू IIT JEE प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ करने की माँग करती है। परिषद् का मानना है कि 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा IIT JEE में किये गये बदलावों से कोचिंग संस्थानों का कुकरमुत्तों की भांति बढ़ना निरन्तर जारी है। परिषद् डॉ. रामास्वामी कमेटी द्वारा प्रवेश परीक्षाओं में +2 के अंक जोड़ने के सुझाव को नकारती है, क्योंकि विभिन्न बोर्डों के प्राप्तांकों को समरूप लाना संभव नही है, इसीलिये यह देश भर की प्रतिभाओं को परखने का सही मापदण्ड नहीं है। अभाविप IIT जैसी संस्थाओं की स्वायत्तता का समर्थन करती है जिनका राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन का स्वच्छ रिकार्ड रहा है।

अभाविप का यह मत है कि शोध व अनुसंधान का उच्चतर सुनिश्चित किये बिना दुनिया में भारत अग्रणी भूमिका नही निभा सकेगा। अतः अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् सरकार से माँग करती है कि शोध हेतु अधिक धन उपलब्ध करवाया जाये, जिससे भारत अपने युवाओं के शोध कार्य का अधिक लाभ उठा सके। अभाविप की यह कार्यकारी परिषद् शोध छात्रों हेतु मिलने वाली छात्रवृत्तियों के आंवटन में हो रही अनियमितताओं को दूर करने तथा नयी योजनाओं की घोषणा की मांग करती है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार द्वारा MBBS की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक चिकित्सक को एक वर्ष तक अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहकर इन्टर्नशिप के प्रावधान का स्वागत करती है। अभाविप का यह मत है कि इस व्यवस्था से ग्रामीण जनों को लाभ पहुँचने के साथ ही इन विद्यार्थियों को वस्तुस्थिति से परिचय व व्यावसायिक अनुभव भी प्राप्त होगा। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् छात्रों, युवाओं व शिक्षाविदों द्वारा भारतीय शिक्षा पर गंभीर चिन्तन कर शासन को योग्य कदम उठाने हेतु बाध्य करने का आह्वान करती है।

प्रस्ताव क्रमांक : 2

देश का वर्तमान परिदृश्य

विज्ञान में विश्व के अग्रणी देशों के समान स्वयं मूलभूत तकनीक विकसित करते हुए हाल ही में अग्नि–5 मिसाइल व रीसैट–1 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए अभाविप भारतीय वैज्ञानिकों तथा तंत्रज्ञों का अभिनंदन करती है। तमाम आकर्षणों को छोड़कर तथा अनेक अभावों और सीमाओं में रहकर भी वैज्ञानिकों की यह उपलब्धियाँ और भी अभिनंदनीय बनाती है।

2G स्पेक्ट्रम घोटला तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम की सहभागिता के बिना संभव नही था ऐसा अभाविप का स्पष्ट मत है। दागी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) की नियुक्ति से लेकर कई मामलों में पी. चिदम्बरम का नाम आने के बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार बेशर्मी और हठधर्मिता से उनको बचाने का प्रयास कर रही है। एअरसेल–एक्सिस समझौते में अपने प्रभाव का उपयोग कर अपने पुत्र को लाभ पहुंचाने में पी. चिदंबरम का नाम एक बार फिर सामने आया है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार से यह मांग करती है कि सिर से पाव तक भ्रष्टाचार में डूबे पी. चिदंबरम को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त कर उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाये। हाल ही में उजागर हुए टेट्रा ट्रक घोटाले से स्पष्ट हो गया है कि भ्रष्टाचार सेना जैसी संवेदनशील संस्थाओं में भी अपनी जड़े जमा चुका है। सेनाध्यक्ष जनरल वी. के. सिंह द्वारा उन्हे 14 करोड़ की रिश्वत का प्रस्ताव किये जाने संबंधी बयान भी इस बात की पुष्टि करता है। 2G, कॉमनवेल्थ, आदर्श सोसायटी के बाद कोयला खदान आवंटन में 10 लाख करोड के घोटाले के सामने आने से यह बात पक्की हो गई है कि वर्तमान यू.पी.ए. सरकार घोटालेबाजों की सरकार है।

सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के बावजूद भी आज हर दूसरे दिन भ्रष्टाचार के नये–नये प्रकरण उजागर हो रहे है। सरकार द्वारा दमन के बाद भी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिल रहे समर्थन से यह स्पष्ट होता है कि देश की जनता पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी यू.पी.ए. सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। अभाविप, 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' (YAC) के साथ लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में संघर्षरत है। आंदोलन के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समाधान की दिशा में भी YAC पहल कर रहा है। भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्तियों को तो शायद सजा हो भी जाये लेकिन संगठित गिरोह के रूप में जो पार्टी और सरकार इसको अंजाम दे रही है उसको सत्ता से हटाना जरूरी है ऐसा इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का सुविचारित मत है। अभाविप और 'यूथ अगेंस्ट करप्शन' आने वाले समय में इस दिशा में आक्रामक आंदोलन करने के लिये संकल्पबद्ध है।

देश में नक्सलियों और माओवादियों की गतिविधियाँ बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के तिनसुकिया में सुरक्षा बलों द्वारा 4 माओवादियों को मार गिराना उस क्षेत्र में भी माओवादियों के पाँव पसारने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। हाल ही में ओड़िशा में नक्सलियों द्वारा इतालवी नागरिक, जनजाती विधायक तथा छत्तीसगढ़ में जिलाधिकारी को बंधक बनाकर उनकी रिहाई के बदले अपने साथियों को छोड़ने की मांग की गयी। हालांकि विधायक के अपहरण की घटना को सरकार एवं नक्सलियों के बीच सांठगाँठ होने का संदेह भी जताया जा रहा है फिर भी इन घटनाओं से जनजाती एवं विकास वंचित लोगों के हितैषी होने का दम भरने वाले नक्सलियों का असली अपराधी गिरोह वाला चेहरा उजागर होता है। नक्सलियों व माओवादियों के प्रति केन्द्र सरकार का रवैया समझौतावादी दिखायी देता है। वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन न करते हुये इस मामले में सारा ठीकरा राज्य सरकारों के सर फोड़ रही है। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार के इस रवैये की भर्त्सना करती है।

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी व दिनों दिन अपना जनाधार खो रही वर्तमान केन्द्र सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे हथकंडे अपना रही है। कुछ समय पूर्व संपन्न पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों की अधिसूचना से ठीक पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे में कटौती कर मुसलमानों के लिये 4.5: आरक्षण की घोषणा जो अब प्रभावी हो गयी है, इस बात का प्रमाण है। उ. प्र. में कांग्रेस और स. पा. द्वारा

इसे बढ़ाकर 13: एवं 18: करने के आश्वासनों की होड़, मुस्लिम बालिकाओं के विवाह के लिये उ. प्र. में स. पा. सरकार द्वारा 30 हजार रुपये दिये जाने की घोषणा, केरल में परंपरा तोड़ते हुये मुस्लिम लीग के दबाव में पाचवाँ मुसलमान मंत्री देना तथा पश्चिम बंगाल में मौलवियों को 2500 रुपये प्रतिमाह वेतन की घोषणा आदि बाते यह दर्शाती है कि विभिन्न राजनैतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिये संविधान को ताक पर रखकर किसी भी सीमा तक जा सकते है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मामलों में देश के विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णय में ऐसे प्रयासों को संविधान के विरुद्ध बताया है। हज के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में अनुचित ठहराते हुए इसे 10 साल के अंदर बंद करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसके बावजूद तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिजीवी व राजनेता इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे है। अभाविप ऐसे सभी लोगों व राजनीतिक दलों को चेतावनी देती है कि वह अपनी हरकतों से बाज आयें।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले से कमरतोड़ मंहगाई की मार झेल रही देश की जनता पर सरकार ने पेट्रोल के दाम 7.50 रुपये प्रतिलीटर से बढ़ाकर सामान्य जन के जीवन को और दुष्कर बना दिया है। दूसरी तरफ लाखो टन गेहूँ मात्र बोरों के अभाव में सड़ रहा है। मंहगाई नियंत्रण के सरकारी प्रयासों से महंगाई तो नही घटी किन्तु देश की आर्थिक समृद्धि दर अवश्य घट गई। देश के भुगतान संतुलन व बजट का घाटा अनियत्रिंत दर से बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकार्ड निचले स्तर पर आ गया है। जिसके परिणाम स्वरूप हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सी (Standards And Poors) द्वारा भारत की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक घटा कर नकारात्मक किया जाना गंभीर चिंता का विषय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का पहुँचा है। अभाविप का यह मानना है कि देश की ऐसी खस्ता आर्थिक हालत केन्द्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अवसर प्रदान करने वाली नीतियाँ बनाने के कारण हुई है।

हाल ही में एक निजी चैनल द्वारा किये गये स्टिंग ऑपरेशन में IPL के चार खिलाड़ियों का मैच फिक्सिंग के लिये सहमत होना, मुबंई में हुई रेव पार्टी में दो खिलाड़ियों का पकड़ा जाना आदि घटनाएँ यह प्रमाणित करती है कि IPL स्वस्थ खेल भावना से कोसों दूर है। काले धन, कुछ राजनीतिज्ञों के प्रभाव व कुछ फिल्म कलाकारों के ग्लैमर ने IPL को खेल से कहीं अधिक सस्ते मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। वस्तुतः IPL के दौरान होने वाली इन घटनाओं ने राष्ट्रीय गौरव का विषय बन चुके क्रिकेट से जुड़ी जन भावनाओं को आहत किया है जिसकी अभाविप निंदा करता है।

वर्तमान में देश का एक बड़ा भूभाग जल संकट का सामना कर रहा है। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, राजस्थान जैसे प्रांतों के अनेक जनपदों में पेय जल का भीषण संकट उत्पन्न हुआ है। किंतु देशभर में घटती प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की आड़ में केन्द्र सरकार अपनी राष्ट्रीय जल नीति–2012 में विश्व बैंक के सुझावों अनुसार सार्वजनिक व निजी सहभागिता के नाम पर जलापूर्ति का काम सार्वजनिक नियंत्रण रहित निजी एकाधिकार में देने का प्रस्ताव ला रही है। ऐसे प्रस्ताव से जल जैसे प्राकृतिक संसाधन पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एकाधिकार बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रस्ताव में जल को जीवन के आधार के रूप में वर्णित किया है। किंतु इस प्रस्तावित नीति में जल के उपभोग को विवेकपूर्ण व सीमित करने के लिये जल का शुल्क लागत आधारित करने का प्रस्ताव देश के अधिकांश जन को न्यूनतम आवश्यक जल उपभोग से वंचित करेगा। अभाविप की यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् केन्द्र सरकार को आगाह करती है कि वह जल जैसी प्राकृतिक उपहार में भी भ्रष्टाचार के अवसर खोजते हुए उसे व्यापारिक लाभ की वस्तु बनाने से बाज आये तथा जलसंरक्षण एवं जल संवर्धन की कुशल एवं प्रभावी नीति को लागू कर देश में जल उपलब्धता को बढ़ायें।

अभाविप का यह मानना है कि वर्तमान केन्द्र सरकार नीतिगत मामले में दिग्भ्रमित, घटकदलों तथा हिंसावादी संगठनों के समक्ष लाचार और मजबूर, जन आकांक्षाओं और भावनाओं के प्रति नितांत असंवेदनशील तथा अब तक की सबसे भ्रष्ट एवं अक्षम सरकार सिद्ध हुई है। यह राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् छात्रों–युवाओं व सामान्य जन का आह्वान करती है कि वे अपने आक्रोश को प्रकट कर इस सर्वथा असफल और नकारा सरकार को सत्ता से बेदखल करें।

पूर्वोत्तर राज्यों की शिक्षा एवं रोजगार पर उभरते सवाल

पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारों की शिक्षा के प्रति अदूरदार्शितापूर्ण व भ्रष्ट नितीयों के कारण शिक्षा व विकास के क्षेत्र में अराजकता का माहौल बना हुआ हैं। पूर्वोत्तर के लगभग 1.5 लाख छात्र देश के अन्य राज्यों में पढ़ने के लिये मजबूर है। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में संसाधनों का सही दिशा में उपयोग होता तो, न केवल शिक्षा अपितु अन्य क्षेत्रों में विकास के द्वारा पूर्वोत्तर भारत को देश के अग्रणी स्थानों पर लाया जा सकता था। अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का यह स्पष्ट मत है कि पूर्वोत्तर राज्यों की इस परिस्थिती के लिए केन्द्र तथा विशेष कर राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है।

राज्य सरकारों द्वारा बार–बार खोकले दावे किये जाते है कि शिक्षा क्षेत्र में विकास हो रहा है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। केन्द्र सरकार द्वारा 10 वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा क्षेत्र के लिऐ 640 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दिये जाने के बावजूद आज भी पूरे पूर्वोत्तर में केवल 14 विश्वविद्यालय, 33 अभियांत्रिकी, 17 तंत्रनिकेतन, 10 वैद्यकीय तथा 47 व्यावसायिक महाविद्यालय खोले गये है। संस्थानों की सीमित संख्या के साथ–साथ प्राथमिक विद्यालय से उच्च शिक्षा संस्थानों तक सभी स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं से भी छात्र वंचित है। शिक्षा संस्थानों की संख्याओं को देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि शिक्षा क्षेत्र की घोर उपेक्षा हुई है।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक पूर्वोत्तर राज्यों में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के भ्रष्ट व तानाशाही रवैये पर चिन्ता व्यक्त करती है। कुलपति कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये है। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भ्रष्टाचार व अन्य प्रकरणों की जाँच हेतु आई फैक्ट फाईडिंग कमैटी के सदस्यों को अध्यापकों व छात्र संगठनों के सदस्यों से नही मिलने देना कुलपतियों के दुस्साहसपूर्ण रवैये को जाहिर करता है। अभाविप ऐसे भ्रष्ट व शिक्षा विरोधी कुलपतियों की कडी भर्त्सना करते हुये उनको तुरन्त हटाने की माँग करती है।

पूर्वोत्तर भारत में चाय, तेल, प्राकृतिक गैस, Flora & Fauna, वन संपदा प्रचुर मात्रा में है। परन्तु भ्रष्ट व अकर्मण्य राज्य सरकारों की दुलमुल रोजगार नीतियों के चलते बेरोजगारी जैसी समस्या से पूर्वोत्तर का छात्र जूझ रहा है। अभाविप माँग करता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षाविदों के सहयोग से शिक्षानीतियों को बनाया जायें।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् का स्पष्ट मत है कि रोजगार उन्मुख शिक्षा, सड़क परिवहन व नये उद्योग लगाकर विकास की गति को बढ़ावा दिया जा सकता है। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिऐ शिक्षा जैसे क्षेत्र में रोजगार की अनंत संभावना है जैसे पर्यटन, Food Processing, कृषि, बांबु उद्योग, खेल, Silk Technology आदि रोजगार परक शिक्षा संस्थान पर्याप्त मात्रा में खोले जाये तथा सूचना तकनीकि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाये। इन संस्थानों में पूर्वोत्तर भारत के छात्रों को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिये। साथ ही पूर्वोत्तर के बाहर से आ रहे विश्वविद्यालयों के नियंत्रण के लिये उचित उपाय करने चाहिये।

अभाविप का मानना है कि देश के अन्य राज्यों के निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों का आर्थिक शोषण होता है वही भाषा की भिन्नता व स्थानीय संपर्क व संबंध न होने के कारण पूर्वोत्तर के छात्र–छात्राओं के साथ अपराधिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ व अपराधिक घटनाये छात्रों के मन में असुरक्षा का भाव का उत्पन्न कर रही है। पूर्वोत्तर के छात्रों को उचित माहोल के लिये जहां छात्र समुदाय को पहल करनी चाहिये वही सरकारें व शिक्षण संस्थानों को भी पहल करते हुये उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था तथा उस दृष्टि से विशेष समिति का गठन करना चाहिये।

अभाविप की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् राज्य सरकारों से माँग करती है कि पूर्वोत्तर राज्यों की शिक्षा व रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिये ठोस पहल करें अन्यथा अभाविप प्रखर छात्र आन्दोलन खड़ा करेगी। साथ ही अभाविप देशभर के विशेषकर पूर्वोत्तर के छात्रों, सभी सामाजिक संगठन तथा नागरिकों को आह्वान करती है कि इस परिवर्तन हेतु पूर्वोत्तर राज्य सरकारों को मजबूर करने के लिये आगे आते हुए अभाविप के इस आन्दोलन का हिस्सा बनें।

जम्मू–कश्मीर

चारित्रिक विकास से मिलेगी सच्ची सफलता

सुरिन्दर शर्मा

जम्मू महानगर अभाविप इकाई ने पांच दिनों का व्यक्तित्व विकास शिविर एस.आर.पब्लिक स्कूल, जम्मू में लगाया. इस शिविर में जम्मू शहर के विभिन्न हिस्सों से 45 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. शिविर का उदघाटन करते हुए मुख्य अतिथि श्री सुरिंदर शर्मा, निदेशक : जे.के चौनल, ने कहा की व्यक्तित्व विकास और चारित्रिक निर्माण विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज प्रत्येक क्षेत्र में युवा सफलता के झंडे गाड़ता दिख रहा है लेकिन चारित्रिक पतन के चलते उसकी इस सफलता की आलोचना होती है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में चरित्र–निर्माण को अभिन्न अंग के रूप में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने विद्यार्थी परिषद के इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यार्थी परिषद् के प्रान्त अध्यक्ष डॉ. वीरेंदर कौंडल ने कहा की विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसे आयोजन परिषद् समय–समय पर करती रहती है ताकि छिपी हुई प्रतिभा सामने आ सकें।

जम्मू में आयोजित हुआ पांच दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर

शिविर के दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से विद्यार्थियों को मिलने का मौका मिला। स्वागत भाषण राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य अजय शर्मा तथा आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन शिविर के संयोजक अरुण प्रभात सिंह ने किया।

जम्मू-कश्मीर वार्ताकारों की रिपोर्ट
विसंगतियों का पुलिन्दा

वार्ताकारों की रिपोर्ट को नकारना जरूरी

जम्मू–कश्मीर के मसले पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित वार्ताकार दल की रिपोर्ट घोर आपत्ति जनक, राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के विरुद्ध तथा प्रारंभ से कश्मीर के प्रति जारी सरकार की नीति से विचलित करने वाली है। इसे सिरे से खारिज किया जाना आवश्यक है।

गृहमंत्रालय ने इस रिपोर्ट को सात महीने तक दबाये रखने के बाद अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट पर आयी प्रारंभिक टिप्पणियों ने ही साबित कर दिया कि यह देश के साथ किसी फरेब से कम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार जवाहर लाल कौल ने लिखा कि यह रिपोर्ट तो अलगाववादी हुर्रियत से भी लिखायी जा सकती थी। स्तंभकार एस. शंकर ने लिखा कि रिपोर्ट देख कर पता चलता है कि फई की दावतें बेकार नहीं गयीं। जानकारी हो कि गुलाम मुहम्मद फई नाम के आईएसआई से जुड़े एक कथित मानवाधिकारवादी के निमंत्रण पर तीन में से दो वार्ताकार अमेरिका गये थे।

रिपोर्ट को जारी करते हुए मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यह वार्ताकारों के निजी विचार है और सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार का मंतव्य इस पर सुविज्ञ बहस चलाने का है। सरकार ने वार्ताकारों को जो काम सौंपा, उसकी आधिकारिक रिपोर्ट उन्हें नियत समय के अंदर प्रस्तुत करनी चाहिये थी । प्रश्न यह है कि मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट यदि वार्ताकारों के निजी विचार हैं तो उनका आधिकारिक प्रतिवेदन कहां है, जिसके लिये एक वर्ष का समय और सरकारी खजाने के करोड़ों रुपये खर्च किये गये।

प्रश्न यह भी उठता है कि ऐसे तीन लोग, जिनका जम्मू–कश्मीर से कोई प्रत्यक्ष सम्बंध नहीं है, न ही वे वहां के हितग्राही(स्टेक होल्डर) हैं, जम्मू–कश्मीर की समस्या पर उनके निजी विचारों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर क्यों स्थान दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद इस विषय पर सैकड़ों–हजारों लोगों ने अपने निजी विचार व्यक्त किये हैं। क्या मंत्रालय इन्हें भी अपनी वेबसाइट पर स्थान देगा? यदि नहीं, तो उन तीन लोगों को ही क्यों अपने निजी विचार रखने के लिये यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है।

अगला प्रश्न यह है कि यदि सात महीने तक अपने पास रखने के बाद भी मंत्रालय रिपोर्ट को लेकर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका तो इससे क्या साबित होता है। हुर्रियत के अनुसार तो वार्ताकारों के दल का गठन महज दिखावा था और केन्द्र सरकार केवल समय काटना चाहती थी। सात महीने में भी किसी निष्कर्ष तक न पहुंचना क्या इस आरोप की पुष्टि है। क्या मंत्रालय को रिपोर्ट में सचमुच कुछ ठोस नहीं मिला जिसके आधार पर वह किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकती। यदि ऐसा था तो उसने इस रिपोर्ट को खारिज कर कूडेदान में डालने के बजाय अपनी साइट पर क्यों डाला।

साथ ही, हर सम्बंधित पक्ष जानता है कि वार्ताकारों का कश्मीर से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है, और मंत्रालय यह मानता है कि वार्ताकारों के विचार निजी हैं, तो सरकार यह क्यों चाहती है कि देश इस पर बहस करे। क्या देश को इससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं कि कभी सरकार तो कभी आईएसआई के खर्चे पर दावत उड़ाने वालों के फितूर पर बहस करता रहे।

अंतिम प्रश्न, सरकार को, खास तौर पर गृह मंत्री को यह जवाब देना ही चाहिये कि वार्ताकारों के दल के गठन के समय क्या उन्हें अमेरिका में बैठे गुलाम मुहम्मद फई के आईएसआई से रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं थी अथवा फई के साथ वार्ताकारों में से दो के संबंधों की जानकारी नहीं थी। तथ्य बताते हैं कि सरकार को यह जानकारी पक्के तौर पर थी, फिर भी

ऐसे लोगों को उन्होंने किस दवाब में वार्ताकार की जिम्मेदारी सौंपी। सरकार की इस नकली मासूमियत के पीछे क्या दवाब और प्रभाव काम कर रहे थे, यह देश जानना चाहता है।

बहरहाल, वेबसाइट पर जो रिपोर्ट डाली गयी है, सरकार द्वारा औपचारिक रूप से हाथ झाड़ने के बाबजूद यह मानना गलत नहीं होगा कि सरकार की भी यही मंशा है। अभी तक के सरकारी प्रयासों को देखें तो हालिया रिपोर्ट अपने आप में कोई स्वतंत्र दस्तावेज नहीं बल्कि एक श्रंखला की अगली कड़ी है। लंबे अतीत में न जायें तो भी, यूपीए– 1 में गठित सगीर अहमद कमेटी की रिपोर्ट के सूत्र वर्तमान रिपोर्ट में पहचाने जा सकते हैं। मनमोहन–मुशर्रफ के बीच ट्रेक–2 डिप्लोमेसी के नाम से चले वार्ताओं के दौर में भी जिन सहमतियों तक पहुंचने की बात की जाती रही वह भी इससे मिलती जुलती ही थीं।

इसलिये यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि सरकार की सोच वार्ताकारों की सिफारिशों से कुछ ज्यादा भिन्न है। गृहमंत्री चिदंबरम पहले भी यह बयान दे चुके हैं कि भारत ने कश्मीरियों के साथ किये गये वादे नहीं निभाये हैं जिसके कारण समस्या उत्पन्न हुई है। हमें यह वायदे पूरे करने होंगे। यह संदेह भी सच से ज्यादा दूर नहीं हो सकता कि सरकार ने किन्हीं अज्ञात दवाबों के चलते कश्मीर के अलगाववादियों को कुछ देने का मन बना लिया है और रिपोर्ट के बहाने वह इसका आधार बना रही है। हां, वह इस पर होने वाली देश की प्रतिक्रिया से आशंकित अवश्य है इसलिये इन सिफारिशों को लागू करने से पहले चाहती है कि संभावित प्रतिक्रिया की तीव्रता का आकलन कर ले। इसके लिये ही उसने रिपोर्ट को निजी विचार बताते हुए सुविज्ञ बहस चलाने का दांव चला है।

रिपोर्ट में तथ्यों को जिस तरह संदर्भ से काट कर प्रस्तुत किया गया है तथा पूर्वनिश्चित सिफारिशों को स्वीकार्य बनाने के लिये जिस तरह तर्कों तथा काल्पनिक संत्रास के मिश्रण में लपेटा गया है वह सरकार की नीतिगत बेईमानी की ओर संकेत करता है। रिपोर्ट में यहां–वहां प्रयोग किये गये कुछ आदर्शवाक्यों पर न जाते हुए समग्र रूप से नकारा जाना आवश्यक है।

वार्ताकारों की अनुशंसाएं और उनका विश्लेषण

नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर–पार जनता, साजो–समान और सेवाओं की बाधा–रहित आवा–जाही तत्परता से सुनिश्चित की जाय। इसके लिये सीमा के दोनों ओर के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त सलाहकार समिति एवं संयुक्त संस्थाएं बनें जो संयुक्त क्षेत्र के विकास की योजना बनायें।

इसके लिये न केवल भारत के अलगाववादी समूहों बल्कि कथित आजाद जम्मू–कश्मीर सरकार, पाकिस्तान तथा चीन सरकार को वार्ता के लिये सहमत करना होगा। आज की स्थिति में यह कल्पना के घोड़े दौड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है।

उपरोक्त सुझाव का अर्थ यह भी है कि भारत जम्मू–कश्मीर का मामला उसका निजी मामला है की छः दशकों की अपनी नीति को छोड़ कर क्रमशः आजाद जम्मू–कश्मीर सरकार, पाकिस्तान और चीन की संप्रभुता स्वीकार कर अपना दावा छोड़ दे। वार्ताकारों ने अपनी रिपोर्ट में इसे सभी जगह पाक अधिक्रांत क्षेत्र(पीओके) के स्थान पर पाक प्रशासित क्षेत्र(पीएके) लिख कर पाकिस्तान की संप्रभुता को मान्यता भी दे दी है। अखिल भारतीय सेवाओं से लिए जा रहे अधिकारियों का अनुपात धीरे–धीरे कम करते हुए राज्य की सिविल सेवा से लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। देश के सभी राज्यों में 66 प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी केन्द्रीय सेवा से आते हैं तथा शेष सम्बंधित राज्य से लिये जाते हैं। जम्मू–कश्मीर में यह अनुपात पहले ही 50 प्रतिशत किया जा चुका है। इसे निरंतर कम करने की सिफारिश केन्द्रीय हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास है। इसका अर्थ यह है कि केन्द्र केवल अनुदान देगा किन्तु केन्द्रीय अधिकारियों के अभाव में उसके वितरण में जवाबदेही नहीं तय कर सकेगा।

गवर्नर और मुख्यमंत्री पद के लिये उर्दू पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल किए जाय जो क्रमशः सदरे–रियासत और वजीरे–आजम होता है।दूसरे शब्दों में यह 1952 के पहले की स्थिति बहाल करने का ही प्रयास है जिसके विरुद्ध स्व. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने

आंदोलन किया और बलिदान दिया।

राज्यपाल की नियुक्ति के लिये राज्य सरकार राष्ट्रपति को तीन नाम भेजेगी। राष्ट्रपति इनमें से किसी एक को राज्यपाल नियुक्त कर सकेंगे।

संघीय संविधान के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल का चयन न केवल संविधान विरुद्ध है अपितु राष्ट्रपति के अधिकारों को ही नकारने वाला है। जिसे नियुक्त करने अथवा बदलने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कैसे माना जा सकता है। संसद राज्य के लिये कोई कानून तब तक नहीं बनायेगी जब तक कि देश की आंतरिक–बाह्य सुरक्षा अथवा महत्वपूर्ण आर्थिक हित प्रभावित न हो रहे हों।

भारत का संविधान संसद को जम्मू–कश्मीर सहित किसी भी राज्य के लिये केन्द्रीय सूचि के किसी भी विषय पर कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने के लिये अधिकृत करता है। संसद के इस अधिकार को चुनौती देने का हक संघ के किसी राज्य को नहीं है।

दक्षिण और मध्य एशिया के बीच जम्मू–कश्मीर एक सेतु है, यह स्थापित करने के लिये आवश्यक उचित उपाय किये जायें। यह टिप्पणी अत्यंत आपत्तिजनक है। जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस रूप में वह मध्य एशिया के लिये भारत का द्वार है। इसे दो भू–भागों को जोड़ने वाला सेतु कह कर भारत से पृथक उसकी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास निंदनीय है।

सेना को आवासीय तथा कृषि क्षेत्रों से हटाया जाय तथा बैरक में वापस भेजा जाय। अशांत क्षेत्र(डीए) का दर्जा हटाया जाय, जनसुरक्षा अधिनियम (पीएसए) में संशोधन किया जाय तथा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को वापस लिया जाय।

सेना व सशस्त्र बलों के प्रयास, जिनमें पांच हजार से अधिक सैनिकों का बलिदान भी शामिल है, से राज्य की स्थितियों में सुधार दिखाई देने लगा है। यह शांति राज्य का स्थायी तत्व बन जाय, इससे पूर्व राजनैतिक कारणों से सेना को हटाने अथवा उसे विशेषाधिकार प्रदान करने वाले अधिनियमों को वापस लेना खतरनाक दांव है। छोटी सी चूक भी शांति की ओर बढ़ रहे राज्य को पुनः हिंसा के दौर में धकेल सकती है।

नियंत्रण रेखा के आर–पार सभी मार्गों को खोला जाय, व्यापार हेतु ही नहीं, अपितु नागरिक आवाजाही के लिये भी बहु–प्रवेश परमिट जारी किये जायें, सीमा के आर–पार रेल लाइनों और सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लायी जाय तथा नियंत्रण रेखा के दोनों ओर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाय। व्यापार और पर्यटन के नाम पर सीमा के दोनों ओर मुक्त आवा–जाही होने पर पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों के कश्मीर में प्रवेश का मार्ग सुगम हो जायेगा। करोड़ों की लागत से सीमा पर लगायी गयी बाड़ का प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा। साथ ही सीमा पार से प्रवेश कर आतंकी बेरोक–टोक जम्मू होते हुए पंजाब तथा देश के शेष भागों में जा सकते हैं।

जितना शीघ्र हो सके भारत सरकार और हुर्रियत के बीच संवाद आरंभ किया जाए और इसे अबाधित रखा जाए। भारत सरकार–हुर्रियत के संवाद से उभरे बिन्दुओं पर संवाद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित जम्मू और कश्मीर सरकार को तैयार करना चाहिए।

जिस हुर्रियत ने वार्ताकारों से मिलना भी स्वीकार नहीं किया उनके साथ भारत सरकार की वार्ता शुरू करने का सुझाव ही निरर्थक है। इसी प्रकार, पाकिस्तान को वार्ता में शामिल करने का अर्थ भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ सहित तमाम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लिये गये अपने पक्ष से विचलित होना है जबकि उसकी ओर से आज भी अवैध कब्जे को खाली करने के का कोई संकेत नहीं दिया गया है।

पत्थर मारने वालों और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाय, जो आतंकवादी हिंसा छोड़ने को तैयार हों उन्हें क्षमा किया जाय, हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेने नियंत्रण रेखा के पार गये कश्मीरियों की वापसी सुनिश्चित हो तथा उक्त सभी का पुनर्वास किया जाय।

यह सुझाव वार्ताकारों के अपने सुझाव नहीं हैं। अलगाववादी हुर्रियत कांफ्रेंस के विभिन्न धड़ों द्वारा की गयी उक्त मांगों को वार्ताकारों ने ज्यों–का–त्यों अपनी

सिफारिशो में रख दिया है।

जटिल मिश्रण की पुड़िया

वार्ताकारों ने अपनी रिपोर्ट में कश्मीर की स्थिति का वर्णन आकांक्षाओं का जटिल मिश्रण के रूप मे किया है। विज्ञान की भाषा में जटिल मिश्रण में ऐसे अनेक तत्व जो आपस में एक–दूसरे के परमाणुओं के साथ बंध बना लेते हैं, नये यौगिकों का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों को भी साथ रखने पर यदि उनमें बंध बनना संभव होता है तो वे पुनः एक नया यौगिक बना लेते हैं किन्तु ऐसे यौगिक, जिनको आपस में मिलाये जाने पर भी कोई बंध नहीं बन सकता, जब मिला दिये जाते है तब उसे मिश्रण कहते हैं। किसी दिये हुए मिश्रण में से उसके मूलतत्वों की पहचान अवश्य जटिल होती है किन्तु यदि उनकी सही पहचान किये बिना प्रयोग शुरू कर दिये गये तो परिणाम विध्वंसकारी हो सकता है। कश्मीर के मामले में दशकों से यही हो रहा है।

वार्ताकारों ने भी जटिल मिश्रण के तत्वों की पहचान के लिये वैज्ञानिक पद्धति का पालन करने और तथ्यों और तर्कों के आधार पर उसकी पुष्टि करने के स्थान पर सुनी–सुनाई बातों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार कर दी है। इसकी तुलना मनोरंजक रूप से हाईस्कूल के उन विद्यार्थियों से की जा सकती है जो रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा के समय लैब असिस्टेंट को दस–बीस रुपये थमा कर यह पूछ लेते हैं कि उसकी पुड़िया में मौजूद मिश्रण में कौन–कौन से तत्व मिलाये गये हैं। पैसे लेकर वह तत्वों के नाम बता देता है और विद्यार्थी उस तत्व की बिना जांच किये पहले से रटा फार्मूला उत्तरपुस्तिका पर उतार देते है। तटस्थता के नाम पर बाहर से पधारे परदेसी परीक्षक को आगरे का पेठा या बरेली का सुरमा भेंट कर 'पप्पू' पास हो जाता है।

'पप्पू' के पापा से लेकर परीक्षक तक, किसी को सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण और तत्वों की पहचान की चिन्ता नहीं है। पप्पू के पास होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रयोग ठीक से किया गया, विष्लेषण वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया, तत्वों की ठीक पहचान हुई, परीक्षक ने ठीक मूल्यांकन किया आदि। पप्पू के पास होने का रहस्य इस बात में है कि सभी संबंधित पक्षों को लगा कि जो वह चाहते थे वह पूरा हो गया।

वार्ताकारों द्वारा एक साल की मशक्कत और जम्मू–कश्मीर के 22 जिलों की खाक छानने के बाद (हालांकि रिपोर्ट देखने के बाद लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा तो समूह के गठन से पहले ही गृह मंत्रालय की फाइलों में मौजूद था) जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है उससे अधिकांश पक्ष संतुष्ट हैं।

नेशनल कांफ्रेस की स्वायत्तता के महत्वपूर्ण बिन्दु रिपोर्ट में शामिल हैं तो पीडीपी की सेल्फ रूल की मांग भी जोड़ी गयी है। हुर्रियत के बहिष्कार के बाद भी उसके दोनों धड़ों की मांगें रिपोर्ट में जगह पा गयी हैं। यही नहीं, दोनों ओर के कश्मीर को जोड़ कर किसी निर्णय तक पहुंचने की अमेरिका में बसे आईएसआई एजेंट डॉ गुलाम नबी फई की मांग को भी वार्ताकारों ने संबोधित किया है तो पाकिस्तान द्वारा स्वयं को बात–चीत में पक्षकार बनाये जाने की संस्तुति भी की गयी है। पूरे कश्मीर को जोड़ कर भारत–पाकिस्तान के बीच एक बफर स्टेट बनाने का अमेरिकी एजेंण्डा भी सिफारिशों की शक्ल में सामने आया है। एक–दूसरे की संप्रभुता को मान्य करने का संकेत चीन के कब्जे में कश्मीर के भू–भाग को वापस लेने की मांग को भी सदा के लिये समाप्त कर देता है।

कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो इस रिपोर्ट से प्रसन्न नहीं हैं। राज्य के गुज्जर, शिया, पहाड़ी, राष्ट्रवादी मुसलमान, कश्मीरी सिख, कश्मीरी पंडित, लद्दाख के निवासी, शरणार्थी समूह, डोगरे तथा बौद्ध, देश भर में फैले राष्टवादी संगठन व राजनैतिक दल रिपोर्ट में की गयी अनुशंसाओं का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वार्ताकार और उन्हें नियुक्त करने वाली सरकार जानती है कि वे चिर विरोधी हैं इसलिये जम्मू–कश्मीर के संबंध में होने वाले किसी भी ऐसे समझौते का विरोध करेंगे जो जम्मू–कश्मीर के भारत के साथ विलय को कमजोर करते हों। लेकिन ये यह भी जानते हैं कि रणनीतिपूर्वक, धीमे–धीमे वे इस मुद्दे को इतना कमजोर कर चुके हैं कि तीन पीढ़ियां बीतने के बाद अब उनके नियुक्त वार्ताकार यदि जम्मू–कश्मीर को भारत से अलग करने की भूमिका बनाने वाली रिपोर्ट भी दें तो आम आदमी

उद्वेलित नहीं होता।

अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों ने इस समय की प्रतीक्षा में दशकों बिताये हैं। अब जाकर वह समय आया है जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। माउंटबेटन ने जो विष–बीज बोया था, उसकी फसल काटने का अवसर अब सामने है। जम्मू–कश्मीर को भारत से अलग कर समरनैतिक दृष्टि से देश को अपाहिज बना देने का पश्चिमी मंसूबा अब आकार लेना चाहता है। दुनियां में भारत के महाशक्ति बनने की संभावना से भयभीत सभी देश और समुदाय इस दुरभिसंधि में शामिल हैं।

इतिहास साक्षी है कि बिना जयचंदों की सहायता के न तो पृथ्वीराज हारता और न सिराजुद्दौला। माउंटबेटन और उनके उत्ताधिकारियों को अपना एजेंडा पूरा करने के लिये जो स्थानीय सहयोग और वातावरण चाहिये था वह न मिलने के कारण जो काम तब न हो सका, अब होने की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, ऐसा भ्रम पश्चिमी रणनीतिकारों को ही नहीं, उनकी भारतीय कठपुतलियों को भी हो गया है। वे यह भूल गये हैं कि जिस जनता को वे रुपये, साड़ी और शराब की बोतल के बदले वोट बेचने वाली मूर्खों की जमात मानते हैं, राष्ट्रीय आह्वान पर वही जनता जब हुंकार भरती है तो सत्ता धूल चाटती नजर आती है।

भ्रांतियां ही भ्रांतियां

वार्ताकारों ने जटिल मिश्रण की चर्चा कर जिन तारों की पहचान का दावा किया। वस्तुतः वह एक मरीचिका है जिसे पिछले छः दशकों में राज्य व केन्द्र के स्वार्थप्रेरित राजनेताओं ने गढ़ा है। गॉयबल्स के सिद्धांत के अनुसार इस झूठ को इतनी बार और इतनी तरह से कहा गया है कि वह सत्य का आभास देने लगा है। वार्ताकारों ने संभवतः इस आभास को ही सत्य मानते हुए तथ्यों की अनदेखी की। परिणामस्वरूप, उनकी तैयार की गयी रिपोर्ट विसंगतियों का पुलिंदा भर रह गयी है। जरूरत इस बात की थी कि उपलब्ध तथ्यों के तर्कों के आधार पर वैज्ञानिक व वैधानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता तथा उसके बाद उसका राजनैतिक हल खोजा जाता। इसके विपरीत सरकार के निर्देश पर वार्ताकारों ने तथ्यों की वैधानिकता और वैज्ञानकता में न जाकर राजनैतिक विश्लेषण करने का प्रयास किया। यदि सरकार की इच्छा राजनैतिक विश्लेषण की थी तो उसे गैर–राजनैतिक लोगों के समूह के गठन की आवश्यकता नहीं थी। और यदि गैर–राजनैतिक लोगों को ही आगे करना था तो उन्हें तथ्यों का ईमानदार विश्लेषण करने देना था। बाद में उसकी व्यावहारिक राजनैतिक संभावनाओं को खंगाला जा सकता था। यद्यपि ईमानदार प्रयास की संभावनाओं पर प्रश्नचिन्ह तभी लग गया था जब सरकार ने वार्ताकारों के समूह का गठन किया। इसके दो विशेष कारण थे। पहला, तीन में से दो वार्ताकारों के विचार पहले से जम्मू–कश्मीर के संबंध में अलगाववादियों से मेल खाते थे। इसे वे समय–समय पर जाहिर भी करते रहे थे। गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी न होने का सवाल ही नहीं था। इसके वावजूद उन्हें समूह में रखे जाने का सीधा अर्थ यही था कि सरकार अलगाववादी मांगों को संतुष्ट करने वाली रिपोर्ट तैयार करवाना चाहती है। सरकार जैसी रिपोर्ट चाहती है वैसे ही विचार और समझ वाले लोगों को समिति में रखती है।

समस्या का दूसरा पहलू यह है कि अधिकांश राजनेता, नौकरशाह, बुद्धिजीवी और पत्रकार उन कहानियों से प्रभावित ही नहीं हैं बल्कि उन पर विश्वास करने लगे हैं जिन्हें तथ्यों से छेड़–छाड़ कर गढ़ा गया है। जब तक इन भ्रांतियों से बाहर आकर केवल आधिकारिक दस्तावेजों को आधार बनाकर अध्ययन और विश्लेषण नहीं किया जायेगा तब तक जम्मू–कश्मीर की समस्या हल होने वाली नहीं है।

जम्मू–कश्मीर और उसके विलय के बारे में देश में, यहां तक कि बुद्धिजीवी वर्ग में भी अनेक भ्रांत धारणाएं विद्यमान हैं। केन्द्र व राज्य की सरकारों ने तथ्यों को स्पष्ट करने के स्थान पर उस पर आवरण डालने का ही काम किया है। इसके चलते जहां संबंधित राजनेताओं और नौकरशाही ने अपने निजी स्वार्थ पूरे किये वहीं देश को अंधेरे में रखने के लिये इस आवरण का उपयोग किया। परिणामस्वरूप, विलय के पश्चात कश्मीर व शेष देश के बीच जो एकीकरण की प्रक्रिया चलनी चाहिये थी, छः दशक बाद भी उसका अभाव अनुभव होता है।

पहली धारणा है कि जम्मू–कश्मीर एक

अद्वितीय राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों से अलग है। इसका इतिहास और भूगोल अलग है। इसकी समस्याएं तक विशिष्ट हैं और जब समस्या विशिष्ट है तो समाधान भी विशिष्ट ही होगा (गृहमंत्री चिदम्बरम की टिप्पणी)। यह सत्य है कि देश का प्रत्येक राज्य अपने–आप में अद्वितीय है, इसी आधार पर जम्मू–कश्मीर भी अद्वितीय है। यही स्थिति इतिहास और भूगोल की है। किन्तु यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि भारत विविधताओं का देश है। इस विविधता के उपरान्त भी पूरे देश में एक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कश्मीर से निकली हैं। महर्षि कश्यप की विरासत संभाले यह क्षेत्र शताब्दियों से ऋषि–मुनियों को ज्ञान की साधना के लिये आमंत्रित कर रहा है। शारदा पीठ, माँ मंगला तीर्थ, नुंद ऋषि तथा शंकराचार्य से जुड़े स्थल, अमरनाथ और वैष्णो देवी तीर्थ आदि जम्मू–कश्मीर को शेष भारत से जोड़ते हैं।

रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सुरक्षा, सम्मान आदि की सहज उपलब्धता शेष देश के समान ही जम्मू–कश्मीर के लोग भी चाहते हैं। इन सबकी उपलब्धता में कमी ही समस्या है और इसका हल देश के साथ संवाद और समरसता में निहित है। यह कोई विशिष्ट समस्या नहीं, इस संदर्भ में पूरे देश का चित्र प्रायः एक जैसा है। यदि यह मुकाबले में कुछ अधिक है तो भी इसके पीछे कारण है अनुच्छेद 370 और इसके चलते सत्ता और प्रशासन के विकेन्द्रीकरण में उत्पन्न अवरोध। अतः विशिष्ट समाधान की मरीचिका त्याग कर सहज समाधान की ओर बढ़ना ही प्रासंगिक है।

दूसरी बड़ी भ्रांति है कि जम्मू–कश्मीर का अर्थ है कश्मीर और कश्मीर का अर्थ है श्रीनगर घाटी। घाटी की आवाज ही पूरे राज्य की आवाज है जिसका प्रतिनिधित्व अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कांफ्रेस, मुफ्ती परिवार की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तथा तमाम अलगाववादियों के गुटों में बंटी हुर्रियत करती है। यह धारणा भी पूरी तरह भ्रम पर आधारित है। दो लाख 22 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले जम्मू–कश्मीर राज्य का 1 लाख 1 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र भारत के साथ है। इसमें 16 हजार किमी से भी कम क्षेत्रफल वर्तमान कश्मीर का है। इसके भी आधे से कम हिस्से में अलगाववादी शक्तियां अपना प्रभाव रखती है। राज्य की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अलगाववादी आंदोलनों का समर्थक नहीं बल्कि उसका शिकार है।

तीसरी भ्रांति है जम्मू–कश्मीर के मुस्लिम चरित्र को लेकर। तथ्य यह है कि जितनी मुस्लिम जनसंख्या जम्मू–कश्मीर में है उससे कई गुना अधिक भारत के अनेक राज्यों में अपने नागरिक अधिकारों का उपभोग करते हुए स्वतंत्रतापूर्वक रह रही है।

चौथी भ्रांति कश्मीरियत और कश्मीरी पहचान की है। मुट्ठी भर यहूदी, पारसी और एंग्लो–इंडियन जैसे अनेक समुदायों के लोग अपनी आस्थाओं का पालन करते हुए तथा अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए खुशहाली के साथ रह सकते हैं तो कश्मीरी मुसलमान क्यों नहीं रह सकते। समस्या कश्मीरियत या मुस्लिम पहचान की नहीं है। लाखों कश्मीरी मुस्लिम समाज के लोग देश को अनेक राज्यों में रहते हैं और कभी उन्हें पहचान का संकट नहीं हुआ। किन्तु इस तथ्य से उन्हें परिचित कराने और देश के साथ उनकी एकात्मता को पुष्ट करने के स्थान पर भय का एक छद्म आवरण बना कर उन्हें शेष देश से काट कर रखा गया।

पांचवी भ्रांति है कि भारत संघ में जम्मू–कश्मीर राज्य का विलय सशर्त था। जबकि यह पूरी तरह असत्य है। भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम –1947 के अनुसार जम्मू–कश्मीर के महाराजा हरिसिंह एकमात्र व्यक्ति थे जो अपने राज्य के भारत अथवा पाकिस्तान में विलय का निर्णय करने के लिये अधिकृत थे।

26 अक्तूबर 1947 को उन्होंने भारत में विलय का निर्णय करते हुए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसे तत्कालीन गृहमंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। यह वही विलय पत्र था जिस पर शेष 568 रियासतों ने हस्ताक्षर किये थे। अधिनियम में सशर्त विलय का कोई प्रावधान ही नहीं था इसलिये विलय की पूर्व शर्तें होने का कोई कारण ही नहीं है।

27 अक्तूबर को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उस पर स्वीकृति के हस्ताक्षर किये। इसके साथ ही

विलय की प्रक्रिया पूरी हो गयी। इस पर आगे किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है।

छठी भ्रांति है कि अनुच्छेद 370 राज्य को किसी प्रकार की स्वायत्तता या विशेषाधिकार प्रदान करता है अथवा केन्द्र व राज्य के बीच संबंधों का निर्धारक है तथा इसे समाप्त करने से राज्य के हितों को नुकसान पहुंचेगा। जबकि सत्य यह है कि अनुच्छेद 370 केवल एक प्रक्रियात्मक तंत्र है जो राज्य को किसी प्रकार की स्वायत्तता नहीं देता। साथ ही, इस तंत्र का उपयोग कर कानून जम्मू–कश्मीर में लागू किये गये हैं वे शेष भारत में भी लागू हैं। यदि वे 120 करोड़ भारतीयों के हित में हैं तो जम्मू–कश्मीर के 1 करोड़ 20 लाख नागरिकों के हितों के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं।

यह भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद है जिसे संविधान निर्माताओं ने सीमित समय के लिये जोड़ा था। स्वयं शेख अब्दुल्ला संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने भी इस प्रावधान पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किये।

पं जवाहरलाल नेहरू, जिनकी अनुच्छेद 370 (पूर्ववर्ती अनुच्छेद 306 ए) को संविधान में जोड़े जाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ने भी 1963 में संसद में कहा कि यह तो अस्थायी प्रावधान है और यह घिसते–घिसते घिस जायेगी। दिसम्बर 1964 में स्व. प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सम्पूर्ण सदन ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर सहमति व्यक्त की थी। स्वयं लोकसभाध्यक्ष ने सदन की इच्छा का ध्यान रखते हुए शीघ्र ही सरकार द्वारा तत्संबंधी विधेयक लाने की बात कही थी। लेकिन जल्दी ही पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाने के कारण इस प्रस्ताव का क्रियान्वयन न हो सका। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से कोई हानि होने की संभावना नही है। सके विपरीत यदि यह हटता है तो भारत का संविधान पूरी तरह राज्य में लागू हो सकेगा। परिणामस्वरूप, पूरे देश के नागरिक जिन सुविधाओं व अधिकारों का लाभ ले रहे हैं वे जम्मू–कश्मीर के नागरिकों को भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रभावी सूचना के अधिकार कानून, पंचायती राज, पिछड़ों और जनजातियों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ राज्य के नागरिक भी उठा सकेंगे।

सातवीं भ्रांति है कि जम्मू–कश्मीर भारत व पाकिस्तान के बीच का विवाद है। यह भ्रांति भी निराधार है क्योंकि महाराजा ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य का भारत में विलय किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पाकिस्तान को आक्रमणकारी मानते हुए उसे अपनी सेना हटाने के निर्देश दिये थे जिसका पालन उसने आज तक नहीं किया। जम्मू–कश्मीर की जो भी समस्या है वह भारतीय संघ में राज्य के विलय को लेकर नहीं है। यहां तक कि शेख अब्दुल्ला भी पाकिस्तान में विलय के लिये किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। न ही वे द्विराष्ट्रवाद के सिद्धात के समर्थक थे जिसे आधार बना कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इसलिये समस्या जो भी समाधान निकलेगा वह भारतीय संविधान के अंतर्गत परस्पर सहमति के आधार पर।

1994 का संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव से भी स्पष्ट है कि इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान द्वारा अधिक्रांत भूमि को मुक्त कराने के अतिरिक्त उसकी कोई भूमिका नहीं है।

संलग्नक

1 रिपोर्ट का कार्यसाधक सारांश

इस प्रतिवेदन की सामग्री मुख्यतः जम्मू और कश्मीर के सब 22 जिलों में 700 से अधिक प्रतिनिधिमण्डलों और तीन गोलमेज सम्मेलनों में समूहों के साथ वार्ता का परिणाम है। हमने 13 अक्टूबर 2012 को अपनी नियुक्ति के बाद यह सब कार्य किया। प्रतिनिधि मण्डलों में राज्य और स्थानीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों, मानव अधिकारों की रक्षा में लगे सिविल सोसायटी समूहों, विकास और सुशासन के कार्य में लगे संघों, छात्र संगठनों, शैक्षिक बन्धु–बान्धवों, वकीलों के संघों, पत्रकारों और व्यापारियों, व्यापार संघों, मजहबी संस्थाओं, विशिष्ट जातिगत समूहों के समुदायिक संगठनों, लड़ाई या स्थानिक हिंसा के कारण अपने घरों से उजड़े लोगों, नव–निर्वाचित पंचायत सदस्यों, पुलिस के उच्च अधिकारियों, अर्धसैन्यबलों और सेना का प्रतिनिधित्व था। तीन गोल मेज सम्मेलनों में जिनमें से दो श्रीनगर में और एक जम्मू में हुआ, एक साथ महिलाएं, पढ़े–लिखे

लोग–स्वयंसेवक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता शामिल हुए जो राज्य के तीनों क्षेत्रों अर्थात् जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से संबंधित थे।

जिन तीन बड़ी सभाओं में हम शामिल हुए उनमें कई हजार सामान्य–नागरिक आए और उन्होंने अनेक मामलों पर अपने विचार प्रकट किए। इसके साथ–साथ श्रीनगर में केन्द्रीय कारागार में हम दहशतगर्दों और पत्थर मारने वालों से भी मिले और मानव अधिकारों के दुरुपयोग के तथाकथित शिकार लोगों के परिवारों से भी मिले। इस प्रतिवेदन में जम्मू और कश्मीर से संबंधित व्यापक साहित्य, विद्वत्तापूर्ण अध्ययन और पत्रकारों द्वारा दी गई रिपोर्टें, मुख्यधारा और मुख्यधारा से बाहर के राजनीतिक संगठनों द्वारा जारी किए गए वे प्रलेख जिनमें राजनीतिक समझौता के प्रस्ताव थे, चिंतकों की रचनाएं, पिछले कई दशकों के दौरान केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न कार्यकारी समूहों और आयोगों की रिपोर्टें, भारत संघ में जम्मू और कश्मीर के विलय से लगाकर राजनीतिक सांविधानिक क्रियाकलापों से संबंधित सरकारी प्रलेख शामिल किए गए हैं।

2. कश्मीर घाटी में वर्तमान उत्पीड़न की गहरी भावना का पूरा लेखा–जोखा लेकर हमने राजनीतिक समझौता प्रस्तावित किया है। निश्चित रूप से इस पर पूरी संवेदनशीलता से गौर करने की जरूरत है। इसके साथ–साथ हमने किसी एक क्षेत्र या मानव जातीय या धार्मिक समुदाय के नजरिए से राज्य को सताने वाले असंख्य मामलों को देखने की फाँसों से बचने की कोशिश की है।

हमारे साथ हुई वार्ताओं से यह पता चला है कि जनता की मान–मर्यादा से जीवन जीने की व्यापक इच्छा है। विशेषतः उन्होंने निम्नलिखित इच्छाएं व्यक्त की हैं :–

- मजहबी अतिवाद संबंधी सब शक्तियों, मानव जातीय या क्षेत्रीय दुराग्रहों और बहुसंख्यावादी उस अहंभाव जो साम्प्रदायिक और अंतरक्षेत्रीय भाईचारे को अस्त–व्यस्त करता है, इन सबसे छुटकारा
- एक अपारदर्शी और गैर–जिम्मेदार प्रशासन से छुटकारा,
- उन आर्थिक ढाँचों, नीतियों और कार्यक्रमों से छुटकारा, जो राज्य के सब भागों के समग्र आर्थिक विकास और संतुलित उन्नति को बढ़ाने संबंधी प्रयासों को कमजोर करते हैं।
- उन सब सामाजिक ढाँचों और नीतियों से छुटकारा जो वंचित सामाजिक समूहों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को हानि पहुँचाते हैं।
- उन कठोर कानूनों या कठोरता से लागू किए जाने वाले कानूनों और न्यायिक देरियों से छुटकारा जिनके कारण उचित असहमति वाले मामले सुलझ नहीं पाते।
- उस अभित्रास और हिंसा से छुटकारा जिसके कारण लोगों को अपने पर्यावास (हैबिटैट) छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है।
- सब समुदायों की मजहबी, भाषायी और सांस्कृतिक अस्मिता को मिल रही धमकियों से छुटकारा
- प्रचार माध्यमों, पत्रकारों, सूचना–अधिकार कार्यकर्ताओं, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्षरत समूहों और सांस्कृतिक संगठनों पर बनाए जा रहे दबावों से छुटकारा

• 3. हमारा विश्वास है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर व्यापक सहमति विद्यमान है :–

- सब पणधारियों (जिनका सब कुछ दाँव पर लगा है) जिनमें वे भी शामिल हैं जो मुख्यधारा के भाग नहीं हैं, के बीच संवाद के द्वारा जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक समझौता होना चाहिए।
- लोकतंत्र और बहुलतावाद के प्रति उनका समर्पण असंदिग्ध होना चाहिए।
- भारत संघ के भीतर जम्मू और कश्मीर एकल सत्ता के रूप में बना रहना चाहिए।
- राज्य की अलग पहचान की गारंटी देने वाला अनुच्छेद 370 बना रहना चाहिए। विगत दशाब्दियों में हुए इसके क्षरण का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इसमें उन

शक्तियों का समावेश हो जाए जिनकी राज्य को अपने तौर पर लोगों के कल्याण के बढ़ावे के लिए जरूरत है।

- राज्य के नागरिक और भारतीय नागरिक के नाते पिछले तनावों के बिना लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें अन्यथा पारदर्शी और जिम्मेदार शासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और न ही स्वाधीनता और सांस्कृतिक पहचान, सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित की जा सकती।
- जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों और विभिन्न मानव–जातीय और मजहबी समूहों, लड़ाइयों या स्थानिक हिंसा के कारण अपने घरों से बेघर हुए लोगों के उप क्षेत्रों की भिन्न–भिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति के प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए।
- क्षेत्र, जिला, खण्ड और पंचायत–नगरपालिका परिषद स्तर पर निर्वाचित निकायों को वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियां देकर सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।
- राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता देने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच एक नई वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके लिए पहाड़ी, पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों और सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होगी।
- नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर–पार जनता, साजो–समान और सेवाओं का बाधा–रहित संचलन तत्परता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे आपसी हित और आवश्यकताओं के सब क्षेत्रों में पूर्व शाही राज्य के दोनों भागों के बीच संस्थागत सहयोग हो जाए।
- यह अच्छी तरह से तभी हो सकता है जब उस जम्मू और कश्मीर के, जो इस समय पाकिस्तान के नियंत्रण में है, विभिन्न भागों में राज्य, क्षेत्र, उपक्षेत्र स्तर पर लोकतांत्रिक शासन के संस्थान स्थापित हो जाएं।

4. इस सहमति के निर्माण के लिए हमारी संस्तुति है कि सन् 1952 के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राज्य में लागू हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और सब केन्द्रीय अधिनियमों की समीक्षा के लिए सांविधानिक समिति बनाई जाए। इसके प्रधान ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें जम्मू और कश्मीर के लोगों और संपूर्ण भारत के लोगों का विश्वास प्राप्त हो। इसके सदस्यों में ऐसे सांविधानिक विशेषज्ञ होने चाहिएं जिन्हें सब प्रमुख पणधारियों का विश्वास सुलभ हो। इसके निष्कर्ष जो छह महीने के भीतर प्राप्त होने हैं, उन सभी पर बंधनकारी होंगे।

सांविधानिक समिति को हमारे द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित आधार पर समीक्षा करने का अभिदेश (मेन्डेट) दिया जाएगा। इसे (उस समिति को) जम्मू और कश्मीर के दोहरे चरित्र को ध्यान में रखना होगा अर्थात् यह भारत संघ की एक घटक ईकाई है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 में उल्लिखित उक्त संघ में विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य के लोगों की भी दोहरी स्थिति है अर्थात् वे राज्य और भारत दोनों के नागरिक हैं। इसलिए इस समीक्षा से यह निर्धारण करना होगा कि क्या और किस हद तक उन केन्द्रीय अधिनियमों और भारत के संविधान के अनुच्छेदों ने जो राज्य पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना लागू किए गए हैं, जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और राज्य की जनता का कल्याण करने वाली सरकार की शक्तियों को छोटा किया है। सांविधानिक समिति को भविष्य–उन्मुखी होना चाहिए अर्थात् इसे पूर्णतया राज्य की शक्तियों के आधार पर समीक्षा करनी चाहिए जिनकी आवश्यकता राज्य को जम्मू–कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों और इसके उपक्षेत्रों के लोगों और समुदायों की आकांक्षाओं, शिकायतों, आवश्यकताओं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों से निबटने के लिए जरूरत है। इस संबंध में समिति को यह बताना पड़ेगा कि तीनों क्षेत्रों के शासन के सब स्तरों यानि क्षेत्रीय, जिला, पंचायत–नगरपालिका परिषद को राज्य सरकार की

तरफ से किस मात्रा में विधायी, वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियां दी जानी चाहिएं।

सांविधानिक समिति की सिफारिशें आम सहमति द्वारा की जानी चाहिएं जिससे कि वे राज्य की विधान सभा और संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त सब पणधारियों को स्वीकार्य हों। अगला कदम राष्ट्रपति जी को उठाना होगा जो संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके सांविधानिक समिति की सिफारिशों का समावेश करते हुए एक आदेश जारी करके किया जाएगा। इस आदेश की अभिपुष्टि संसद के दोनों सदनों में एक विधेयक प्रस्तुत करके की जाएगी और साथ–साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन में मतदान करा के उपस्थित कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत के द्वारा अभिपुष्टि करानी आवश्यक होगी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्रियाविधि के पूरा होने पर अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) और (3) क्रियाशील नहीं रहेंगे और इसके बाद अंतिम आदेश की तारीख से उक्त खण्डों के अधीन राष्ट्रपति जी के द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

5. सांविधानिक समिति के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए हम अपने सुझाव नीचे सूचीबद्ध कर रहे हैं:–

हम जम्मू और कश्मीर के साथ एक नया समझौता चाहते हैं। इसमें व्यापक तौर पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामले होंगे।

राजनीतिक घटक : केन्द्र राज्य संबंध

हमारा विश्वास है कि पिछले छह दशकों में राज्य पर लागू किए केन्द्रीय कानूनों के बने रहने से कोई जोरदार आपत्तियां पैदा नहीं होनी चाहिएं। उन्हें उस रूप में ही देखा जाना चाहिए जैसे वे हैंरू अहानिकर कानून जो राज्य को और इसकी जनता को लाभप्रद रहे हैं और राज्य इनके कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों, मापदण्डों और विनियमों के अनुरूप बन सका है। उदाहरण के लिए अफीम, समाचार–पत्र और पुस्तकों का पंजीयन, मजदूरी का भुगतान और बीमा संबंधी कानून।

हमारा यह विश्वास है कि सातवीं अनुसूची की सूची प्प्प् में से कुछ विषय राज्य को अंतरित कर दिए जाएं तो राष्ट्रीय हितों पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए समझौते के राजनीतिक घटकों के अध्याय में इस संबंध में विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। वस्तुतः जो भविष्य–उन्मुखी मार्ग हमने सुझाया है–उसमें रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और राज्य में सांस्कृतिक परिवर्तन, संपूर्ण भारत में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में और वैश्वीकरण के फलस्वरूप उसके आगे होने वाले परिवर्तनों पर पूरा ध्यान रखा जाना है–इस परिप्रेक्ष्य में भारत के संविधान के उन अनुच्छेदों पर जो राज्य को लागू किए गए हैं त्वरित समझौता कर लेने में पणधारियों को सुगमता होगी।

विवाद के कुछ मामलों में हमारी सिफारिशें निम्नलिखित हैं:–

- संविधान के अनुच्छेद 370 के शीर्षक और भाग के शीर्षक से 'अस्थायी' शब्द हटाना। इसके बजाए अनुच्छेद 371 (महाराष्ट्र और गुजरात), अनुच्छेद 371–ए (नागालैण्ड), अनुच्छेद 371–बी (असम), अनुच्छेद 371–सी (मणिपुर), अनुच्छेद 371–डी और ई (आन्ध्र प्रदेश), अनुच्छेद 371–एफ (सिक्किम), अनुच्छेद 371–जी (मिजोरम), अनुच्छेद 371–एच (अरुणाचल प्रदेश), अनुच्छेद 371–आई (गोवा) के अधीन अन्य राज्यों की तर्ज पर 'विशेष' शब्द रखा जाए।
- राज्यपाल के चयन के लिए राज्य सरकार विपक्षी पार्टियों से परामर्श करके राष्ट्रपति को तीन नाम भेजेगी। आवश्यक होने पर राष्ट्रपति अधिक सुझाव माँग सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह राष्ट्रपति जी की कृपा से पदधारण करेगा।
- अनुच्छेद 356 : वर्तमान में राज्यपाल की कार्रवाई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान व्यवस्था इस परन्तुक के साथ जारी रह सकती है कि राज्यपाल राज्य विधान मण्डल को निलम्बित अवस्था में रखेगा और तीन महीने के भीतर नए चुनाव कराएगा।
- अनुच्छेद 312 : अखिल भारतीय सेवाओं से लिए

जा रहे अधिकारियों का अनुपात धीरे–धीरे कम किया जाएगा और प्रशासनिक दक्षता में रुकावट बिना राज्य की सिविल सेवा से लिए जाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

- अंग्रेजी में गवर्नर और मुख्यमंत्री के नाम जैसे आज हैं वैसे ही रहेंगे। उर्दू प्रयोग के दौरान उर्दू पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
- तीन क्षेत्रीय परिषदें बनाना , जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग–अलग (लद्दाख आगे से कश्मीर का एक मण्डल नहीं रहेगा)। उन्हें कुछ विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां दी जाएं। समग्र पैकेट के भाग के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्तर पर, ग्राम पंचायत, नगर–पालिका परिषद या निगम के स्तर पर कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी देनी होंगी। ये सब निकाय निर्वाचित होंगे। महिलाओं, अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान होंगे। (भाग–4 देखिए)
- विधायक पदेन सदस्य होंगे, जिन्हें मतदान का अधिकार होगा।
- संसद राज्य के लिए कोई कानून तब तक नहीं बनाएगी जब तक इसका संबंध देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से और इसके महत्वपूर्ण आर्थिक हित, विशेषतः ऊर्जा और जल संसाधनों की उपलब्धि के मामलों से न हो।
- पूर्व शाही रियासत के सब भागों में ये परिवर्तन समान रूप से लागू होने चाहिएं। नियंत्रण रेखा के आर–पार सहयोग के लिए सब अवसरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान नियंत्रित जम्मू और कश्मीर में पर्याप्त सांविधानिक परिवर्तन आवश्यक होंगे।
- दक्षिण और मध्य एशिया के बीच जम्मू और कश्मीर एक सेतु बन जाए इसके लिए सब उचित उपाय करने होंगे।

6. सातवीं अनुसूची की सूची में से वे विषय जो राज्य विधान मण्डल से क्षेत्रीय परिषदों को अंतरित किए जा सकते हैं, हमारी रिपोर्ट में विस्तार में दिए गए हैं।

राज्य विधान मण्डल को चाहिए कि राज्य विधान मण्डल को अंतरित सूची प्प् के विषयों में से क्षेत्रीय परिषदों को कुछ विषय दे देने के बारे में विचार करे। गोरखालैण्ड पर हुए समझौते के ए और बी भागों में सूचीबद्ध विषयों पर भी विचार किया जा सकता है।

पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियां भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों की तर्ज पर होंगी।

7. बी–सांस्कृतिक सीबीएम (विश्वास स्थापन के उपाय)

राज्य के तीनों क्षेत्रों के पुनः एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नीचे लिखे सांस्कृतिक कदम उठाए जाएं:–

अंतर और अंतः कश्मीर संवाद आरंभ किए जाएं, छात्रों, लेखकों, कलाकारों और शिल्पकारों का आदान–प्रदान शुरू किया जाए, कलाओं के लिए उचित मूलभूत ढाँचा बनाया जाए, बहु–सांस्कृतिक पाठ्यचर्या विकसित की जाए, राज्य की अनेक भाषाओं में अनुवाद की सेवाओं की व्यवस्था की जाए, राज्य की लोक–परंपराओं को पुनः मजबूत किया जाए, नियंत्रण रेखा के आर–पार पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और राज्य की भाषाओं में रेडियो और टीवी के कार्यक्रम आरंभ किए जाएं।

8. सी– आर्थिक और सामाजिक सीबीएम (विश्वास स्थापन के उपाय)

सरकार–जनता की साझेदारी के आधार पर सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य भारतीय राज्यों के सर्वोत्तम तौर तरीके अपनाए जाएंय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए जाएं जिनका विस्तार उत्तर–पूर्वी राज्यों की तर्ज पर वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन देकर किया जाएय कश्मीरी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक निर्यात प्रोत्साहन दिए जाएंय बागवानी उद्योग में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता का विस्तार किया जाएय राज्य की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का संरक्षण किया जाएय सुरक्षा बलों के अधिकार में जो औद्योगिकी संस्थापन और अन्य भवन हैं उनको शीघ्र खाली कराया

जाएय प्राकृतिक संसाधनों के बतौर जो खनिज और पदार्थ है, उनके दोहन का अध्ययन किया जाएय अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन आरंभ किया जाएय राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले और सीमाओं के आर–पार रेललाइनों और सड़कों की आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को पूरा करने के काम में तेजी लाई जाएय केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली उत्पादन की परियोजनाओं को राज्य को दे दिया जाएय पहाड़ी, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास क्षेत्र घोषित कर दिया जाए।

एक समग्र शैक्षिक नीति का होनाय स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी आवश्यक है।

9. कार्ययोजना

इन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्ययोजना संवाद क्रियाविधि की विश्वसनीयता, मुख्य सीबीएम (विश्वास स्थापन के उपाय) के कार्यान्वयन और प्रमुख पणधारियों के बीच सहमति के बनने पर निर्भर करती है।

- क्षेत्र में स्थिति का अवलोकन करने पर और पिछले शांतिप्रयासों से प्राप्त सीख के आधार पर सुलझाव हेतु विश्वसनीय संवाद बनाने में नीचे लिखे सीबीएम (विश्वास स्थापन के उपाय) सहायक होंगे।
- मानव अधिकारों और कानून के शासन संबंधी सुधारों में गति लाना।
- इसमें शेष सब पत्थर मारने वालों और राजनीतिक बंदियों की रिहाई शामिल है, जिन पर गंभीर आरोप नहीं हैं, जिन्होंने पहली बार अपराध किया है या छोटे–मोटे अपराध करने वाले हैं, उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रपटों का वापिस लेना, उन आतंकवादियों को क्षमा करना जो हिंसा छोड़ने को तैयार हों और उनका पुनर्वास, हिंसा के शिकार सब लोगों का पुनर्वास, सुरक्षा बलों की राज्य के भीतरी क्षेत्रों में से उपस्थिति कम करना, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बने विभिन्न अधिनियमो के कार्यान्वयन की लगातार समीक्षा और कश्मीरी पंडितों की वापसी सुनिश्चित करना, इसके साथ–साथ जम्मू और करगिल से बेघर हुए लोगों को उनके घरों में वापिस लाना जिससे वे सुरक्षा, सम्मान और मर्यादा का जीवन व्यतीत करें। पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर से आए लोगों को पर्याप्त मुआवजा देना और उनको राज्य के नागरिक के तौर पर मान्यता देना।
- (बी) पीएसए (लोक सुरक्षा अधिनियम) का संशोधन और डी ए (डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया) और एएफएसपीए (सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम) की समीक्षा
- (सी) पुलिस और जनता के संबंधों में सुधार
- (डी) सुरक्षा संस्थापनों के फैलाव को कुछ रणनीतिक स्थानों तक घटाकर और तत्काल कार्रवाई के लिए चल–इकाइयां बनाकर युक्तिसंगत बनाना
- (ई) प्रधानमंत्री के कार्य समूह की जो कि विशेषतः सीवीएम (विश्वास स्थापन के उपाय) पर था, सिफारिशों का त्वरित कार्यान्वयन ब कश्मीरियों, मुख्यतः पंडितों (हिन्दू अल्पसंख्यक) की राज्य नीति के भाग के तौर पर वापसी सुनिश्चित करना
  1. राज्य में हिंसा के दौरान हुई विधवाओं और अनाथों के लिए जिनमें आतंकवादियों की विधवाएं और अनाथ शामिल होंगे, बेहतर सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था करन
  2. नियंत्रण रेखा के आर–पार फँसे हुए कश्मीरियों की वापसी सुनिश्चित बनाना, जिनमें से बहुत से शस्त्रास्त्र के प्रशिक्षण के लिए बाहर चले गए थे किन्तु अब शांतिपूर्वक वापिस आना चाहते हैं,
- नियंत्रण–रेखा के आर–पार के संबंधों पर बने प्रधानमंत्री के कार्यदल की सिफारिशों का त्वरित कार्यान्वयन। इससे हल के लिए सहमति बनाने के प्रयत्नों में सहायता ।

मनोविज्ञान में कॅरियर

✍ डॉ. प्रेरणा चतुर्वेदी

आज के समय में जबकि चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा सभी क्षेत्रों में हो रहे निरंतर विकास से मानव जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाओं से युक्त हो चुका है, तब भी मनुष्य परेशानियों, कठिनाईयों से मुक्त न होकर और भी बंधनमुक्त महसूस कर रहा है। वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तनाव, चिंता, अवसाद से ग्रस्त होकर मानसिक बीमारियों के जाल में फंस रहा है।

आज स्नातक और परास्नातक करने के पश्चात छात्र–छात्राओं की पहली चिंता अपने कॅरियर को लेकर होती हैं। विज्ञान संकाय के छात्रों के पास जहां विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार के तमाम विकल्प है, वहीं कला संकाय के छात्रों को जब पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई रोज़गार नहीं मिलता तो वे कुंठाग्रस्त होकर हीनभावना के शिकार हो जाते हैं। किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कला वर्ग के विषयों में से मनोविज्ञान विषय से स्नातक–परास्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिये इस क्षेत्र में रोज़गार की पर्याप्त संभावनाओं के द्वार खुले है।

सामान्यतः लोग समझते हैं कि कलावर्ग के विषयों में परास्नातक के अध्ययन के पश्चात शोध करके किसी महाविद्यालय में प्रवक्ता पद की नौकरी ही की जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षक पद के अलावा भी मनोविज्ञान में कई विकल्प है। इस विषय में परास्नातक अध्ययन के पश्चात नैदानिक मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा में डिप्लोमा करके युवा अपना कॅरियर संवार सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी अस्पतालों में परामर्शदाता बनकर छात्रों, मरीज़ों की काउंसलिंग कर सकते हैं तथा नैदानिक मनोविज्ञान में शोध करके मनोवैज्ञानिक बनकर समाज में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आज के समय में बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक का जीवन अनेक परेशानियों से घिर गया है। जहां बच्चों को घर, स्कूल संबंधी समायोजन की समस्यायें रहती है, वहीं माता–पिता को यह भी जानकारी नहीं है कि उनके बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है और वह अपने बच्चों पर अनावश्यक रूप से कक्षा में 90 प्रतिशत अंक लाने का दबाव डालते हैं। जिससे बच्चों में तनाव, चिंता के कारण उनका न केवल समायोजन प्रभावित होता है, साथ ही उन्हें सिरदर्द, पेटदर्द जैसे शारीरिक रोग भी उत्पन्न होने लगते है। इसलिये स्कूलों में बच्चों की बुद्धिलब्धि, समायोजन, व्यक्तित्व संबंधित मापन आवश्यक है जिससे कक्षा में ध्यान न होना या पढ़ाई में कम अंक आने पर उसे अच्छे परामर्शदाता से काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह किशोरवय युवाओं में भी कॅरियर समस्या और विपरित लिंग के प्रति आकर्षण, प्रेम में विफल कुंठा, हीनता की भावना आ जाती है, जिससे वे आत्मघात, प्रतिघात कर सकते हैं। यहां पर भी इन्हें परामर्शदाता से सुझाव लेना आवश्यक हो जाता है। इसके साथ वैवाहिक जीवन की समस्या, यौन समस्या, वृद्धावस्था की समस्याओं में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की आवश्यकता होती है।

मनोवैज्ञानिक बनने के लिये इंटर से मनोविज्ञान विषय का चयन आवश्यक है। अध्ययन के पश्चात

मनोविज्ञान से परास्नातक करके ही इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिये नैदानिक मनोविज्ञान में शोध किया जाता है। तत्पश्चात शोध उपाधि प्राप्त व्यक्ति न केवल अपनी क्लीनिक खोलकर निजी प्रैक्टिस कर सकता है, बल्कि वह अस्पतालों, स्कूलों, सामाजिकसंस्थाओं तथा नशामुक्ति केंद्रों में भी मनोवैज्ञानिक पद पर कार्य कर सकते हैं।

आज तमाम तरह की कठिनाईयों से जूझते हुए मानव हताशा और निराशा की धुंध में खोते हुए अपने लक्ष्य से भटक रहा है। ऐसे में मनोवैज्ञानिकों की बढ़ती भूमिका और आवश्यकता तथा इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों से इंकार नहीं किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण/अध्ययन एवं शोध के प्रमुख संस्थान–

- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ.प्र
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ.प्र
- पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, उ.प्र
- इलाहबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र
- गिरी शोध संस्थान, लखनऊ, उ.प्र
- गोविंद बल्लभ पंत शोध संस्थान, झूंसी, इलाहाबाद, उ.प्र
- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- ज़ामिया मीलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ.प्र
- पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
- टाटा शोध संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र
- मनोचिकित्सा शोध संस्थान, रांची, झारखंड
- राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद, उ.प्र
- रांची विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड
- तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार
- बर्कतुला खुला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
- पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
- गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- ओडिशा विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, ओडिशा
- राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान
- कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, हरियाणा
- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
- पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब
- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश
- नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
- बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र

युवाओं ! देश के प्रायः समस्त विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में मनोविज्ञान विषय पर अध्ययन एवं शोध की सुविधा हैतथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भारत में पर्याप्त संभावनाओं का विशाल क्षेत्र है। यह इसलिए की भारत की अधिकांश जनता गरीबी रेखा पर जीवन यापन कर रही है।

उनको तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। अतः खंड स्तर पर मनोवैज्ञानिक सलाहकार की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। अतः युवकों एवं युवतियों को इस क्षेत्र में रोज़गार की पर्याप्त संभावनाओं का खुला आकाश है।

वाराणसी में नई सुबह नाम से मनोवैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अजय तिवारी का कहना है कि नैदानिक मनोविज्ञान के द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त चिंता, अवसाद, भय, हकलाहट एवं यौन कुंठा का समाधान हो सकता है।

(लेखिका, कहानीकार, कवयित्री, कॅरियर लेखन, महिला लेखन तथा हिन्दी अध्यापन से जुड़ी हैं।)

एर्नाकुलम रा. का. प. बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कलाकार

एर्नाकुलम रा. का. प. बैठक में पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधि

RNI No. 32464/78

Con. No. - DL(N)/249/10-12

बाल गंगाधर तिलक के जयंती पर विशेष
(23 जुलाई 2012)